सम्पादक

डॉ. हारून रशीद सिद्दीक़ी

सहायक

मु. गुफ़रान नदवी

मु. हसन अन्सारी

हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय

मासिक सच्चा राही

मजलिसे सहाफ़त व नशरियात

पो0 बॉ0 नं0 93

टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ

फोन : 0522–2740406

: 0522–2741221

E-mail :
nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	रू0 12e-
वार्षिक	रू0 120e-
विशेष वार्षिक	रू0 500e-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यू.एस. डालर

चेक / ड्राफ्ट पर यह लिखें

"सच्चा राही"

पता

सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात

नदवतुल उलमा, लखनऊ, 226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

Vision Computer - 9451064088, 9026043858

हिन्दी मासिक

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

जून, 2010 वर्ष 09 अंक ५

सादा खाना

सादा खाना खाने में तुम को है आर
क्या अली से बढ़ के हो तुम ज़ी वक़ार

था वलीमा मुरतज़ा का सादा सा
जौ की रोटी गोश्त मेंदे का पका

कुछ पनीर और कुछ खजूरें थी वहाँ
कर रहे थे तो सहाबा नोशा जाँ

हज़रते जाबिर के दस्तरख्वान पर
थे सहाबा और हज़रत मुस्तफ़ा

खा रहे थे देखो कितने शौक़ से
जौ की रोटी गोश्त कुछ और शोरबा

सब सहाबा से खुदा राजी हुआ
और लाखों रहमतें बर मुस्तफ़ा

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
जिक्र सय्यिदतुन्निसा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रजि0	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	5
जग नायक	मौ0 (स0) मु0 राबे हसनी नदवी	7
गैर इस्लामी अख़्लाक़	मौ0 स0 अब्दुल्लाह हसनी	9
आप के प्रश्नों के उत्तर	मुफ्ती मो0 ज़फर आलम नदवी	12
मुस्लिम समाज	मौ0 राबे हसनी नदवी	14
हम कैसे पढ़ायें	डा0 सलामतुल्लाह	17
इन्सानियत मौत के दरवाजे पर	एम0 हसन अंसारी	19
हमारा दीन इस्लाम, हमारा वतन हिन्दुस्तान	अलीमियां	21
नबाती गिजाएं	फौजिया सिद्दीक़ी	22
इस्लाम तलवार से फैला, या सद्व्यवहार से?	अल्लामा सै0 सुलेमान नदवी	24
सैलानी की डायरी	एम0 हसन अंसारी	26
टीपू सुल्तान का हिन्दुओं के प्रति सद्व्यवहार	तसनीम फात्मा	28
खवातीने इस्लाम	मौ0 अब्दुर्रहमान नग्रामी नदवी	29
चलो आई0ए0एस0 बनें	एम0 हसन अंसारी	31
भारत का संक्षिप्त इतिहास	इदारा	32
मुस्लिम पर्सनललॉ बोर्ड पृष्ठभूमि	एम0 हसन अन्सारी	35
हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण	इदारा	39
अतंर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुरआन की शिक्षा

– मौ० शब्बीर अहमद उस्मानी

सूरतुल बकरः

तर्जमा : जान लो वही है खराबी करने वाले लेकिन नहीं समझते[1](12) और जब कहा जाता हैं उन को ईमान लाओ, जिस पर ईमान लाए हैं सब लोग तो कहते हैं[2] क्या हम ईमान लाएं जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ[3] जान लो वही हैं बेवकूफ़ लेकिन नहीं जानते[4] (13) और जब मुलाकात करते हैं मुसलमानों से तो कहते हैं हम ईमान ले लाए हैं और जब तन्हा होते हैं अपने शैतानों के पास[5] तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं[6] हम तो हंसी करते हैं (यानी मुसलमानो से[7] (14)) अल्लाह हंसी करता है उन से[8] और तरक्की देता(14) है उन को उन की सरकशी में और हालत यह है कि वह अक्ल के अन्धे हैं[9](15)।

तफ्सीर :

1. यानी इस्लाह तो हक़ीकत में यह है कि दीने इस्लाम सभी दीनों पर गालिब हो और जुमला अग़राज़ और दुन्या के मनाफे (लाभ) के मुकाबले में शरीअत के अहकाम को ज़ियादा रिआयत दी जाए और दीन के बारे में किसी की मुवाफ़कत या मुखालफत की परवाह न की जाए मुनाफिक़ीन जो मसालहत और मसहलत अन्देशी की बातें करते हैं वह हकीकत में फसाद है मगर वह समझते नहीं (और उस को इस्लाह कहते हैं)।

2. यानी अपने दिलों में यह कहते थे या आपस में या उन जईफ मुसलमानों से जो किसी वजह से उन के राजदार बन रहे थे।

3. (मुनाफिक़ों ने) सुफहा (बेवकूफ़) कहा सच्चे मुसलमानों को कि अहकामे खुदा वन्दी पर दिल से ऐसे फिदा थे कि लोगों की मुखालफत, और उस के बुरे नतीजों और इन्कि़लाबे ज़माना की गूना गूं मज़र्रात (भांति, भांति को हानिकारियों) से अपना बचाव न करते थे जब कि मुनाफिकीन ने मुसलमानों और काफिरों सब से जाहिर बना रखा था और दिल के रोगों से आखिरत की कुछ फिक्र न थी, उन की मसलहत यह थी कि वह शरई अहकाम की पाबन्दी की ज़रूरत न समझते थे कुछ जरूरी अहकाम पर मजबूरी के सबब अमल कर लेते थे।

4. यानी बेवकूफ हक़ीक़त में मुनाफिक़ीन है कि दुन्या के फाइदों का लिहाज़ किया बाकी रहने वाली आखिरत को छोड़ बैठे और मिट जाने वाली दुन्या को अपना लिया मखलूक से डरते हैं जिस का मुकाबला कर सकते है, अल्लाह से नहीं डरते जहाँ किसी की कुछ नहीं चल सकती यह कितनी बेवकूफी और जहालत की बातें हैं, और सुल्हे कुल (सब से मेल) कैसे कि जिस में अहकमुल हाकिमीन (अल्लाह तआ़ला) और उस के मक्बूल बन्दों की मुखालफत की जाती है मगर यह मुनाफिकीन इतने बेवकूफ़ हैं कि इतनी मोटी बात नहीं समझते।

5. शयातीन यानी शरीर लोग, इस से मुराद या वह कुफ्फार है जो अपना कुफ्र सब पर जाहिर करते है या वह मुनाफिक़ीन जो सरदार समझे जाते हैं।

6. यानी कुफ्र व एअतिकादे दीन के बारे में हम बिल्कुल तुम्हारे साथ है किसी हालत में जुदा नहीं हो सकते।

7. यानी हम मुसलमानों की जाहिरी मुवाफ़कत करते हैं इससे यह न समझना कि हम सच मुच उन के साथ हैं, हम तो उन से हंसी करते हैं और उन की बेवकूफी सब पर जाहिर करते हैं कि बावजूदे कि हमारे अअ़माल हमारे अक़वाल के मुखालिफ हैं मगर अपनी बेवकूफी से हमारी जबानी बातों पर हम को मुसलमान समझते हैं और हमारे माल और औलाद पर हाथ नहीं डालते और माले–गनीमत में हम को शरीक कर लेत हैं और अपनी औलाद से हमारा निकाह कर देते हैं।

शेष पृष्ठ 8

प्यारे नबी की प्यारी बातें

अनुवाद : अताउल्लाह सिद्दीकी

अमतुल्लाह तस्नीम

खड़े होकर पानी पीने का बयान

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि0) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म का पानी पिलाया। आप ने खड़े होकर पानी पी लिया।
(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत नज़ाल बिन सबरतह (रज़ि0) से रिवायत है कि हज़रत अली (रज़ि0) बाबु रुहबः पर आये और खड़े–खड़े पानी पी लिया, फिर कहने लगे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह देखा था जैसा तुम ने मुझे करते देखा है। (बुख़ारी)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि0) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चलते फिरते खाया करते थे और खड़े–खड़े पिया करते थे।
(तिर्मिजी)

हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि0) से रिवायत है उन्होंने अपने बाप और उन्होंने अपने दादा से सुना है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े और बैठे पानी पीते देखा है। (तिर्मिजी)

हज़रत अनस (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। हज़रत कतादह (रज़ि0) कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि0) से दरयाफ्त किया कि खड़े होकर खाने का क्या हुक्म है? कहा यह तो और भी बदतर और मकरूह है। (मुस्लिम)

एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने पर सख़्ती से रोका था।

चाँदी के बरतनों का हुक्म

पानी में बरकत

हज़रत अनस (रज़ि0) से रिवायत है कि नमाज का वक्त आया तो जिस के घर करीब थे वह अपने घर वज़ू करने चले गए और कुछ लोग बाकी रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक पत्थर के कून्डे में पानी लाया गया, वह कून्डा इतना छोटा था कि हाथ फैलाने के वुसअत न थी मगर सब ने वज़ू कर लिया, लोगों ने पूछा कि कितने आदमी थे, कहा लगभग अस्सी थे, यह बुख़ारी की रिवायत है और बुख़ारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बरतन में पानी मंगवाया, वह ऐसे बरतन में लाया गया जिस के ऊपर का हिस्सा तन्ग था और उस में थोड़ा पानी था तो आप ने अपनी उँगलियाँ उस में डाल दीं, हज़रत अनस (रज़ि0) कहते हैं कि मैं पानी को देखने लगा वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उँगलियों से उबल रहा था, फिर मैंने वज़ू करने वालों को शुमार किया तो वह सत्तर और अस्सी के दरमियान थे।

पीतल का बरतन

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि0) बिन जैद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो हम ने आप के लिए पीतल के बरतन में पानी हाजिर किया, आप ने उस से वज़ू किया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मुंह लगाकर पीना

हज़रत जाबिर (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अन्सारी के घर तशरीफ़ ले गए। आप के साथ हज़रत अबूबकर (रज़ि0) थे आप ने अन्सारी से फरमाया तुम्हारी मश्क में रात का बासी पानी हो तो लाओ, वरना हम मुंह लगा कर पी लेंगे। (बुख़ारी)

चाँदी के बरतन में पीने की मुमानिअत

हज़रत हुजैफह (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सोने चाँदी के बरतन में पीता है वह अपने पेट को जहन्नम की आग से भरता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

शेष पृष्ठ 11

ज़िक्र सय्यिदतुन्निसा फ़ातिमतुज़्ज़हरा (रज़ि०) के निकाह का

डॉ० हारून रशीद सिद्दीक़ी

हिजरत हो चुकी है, अल्लाह के रसूल सल्ललललाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल व अयाल के साथ मदीना तय्यिबा में हैं। गज़व-ए-बद्र भी पेश आ चुका है। हज़रत अली भी मदीना तय्यिबा में हैं। गज़व-ए-बद्र में शरीक रह चुके हैं। हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर और हज़रत अली की एक आज़ाद की हुई लौंडी के इशारे पर एक रोज हज़रत अली शरमाते हुए हुजूर सल्ललललाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दबी जबान से हज़रते फ़ातिमा से निकाह के ख्वाहाँ हुए। आप सल्ललललाहु अलैहि वसल्लम ने दर्याफ्त फरमाया तुम्हारे पास महर देने को कुछ है? अर्ज किया कुछ नहीं बस एक घोड़ा और एक जिरा (यह जिरा आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की लड़ाई में दी थी) फरमाया घोड़ा अपने काम में रखो और जिरा महर में दे दो इस तरह कि उसे बेच कर उस की कीमत ले आओ। जिरा बिकी हज़रत उस्मान (रज़ि0) ने 480 दिरहम में खरीदी, फिर जिरा भी हज़रत अली को हदिया कर दी।

हज़रत अली (रज़ि0) जिरा की कीमत 480 दिरहम लेकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दी और हज़रत उस्मान का वाकिआ बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को बहुत दुआएं दीं।

वाज़ेह रहे कि आज भी सऊदिया में महर की रकम पेशगी लड़की के बाप को पेश की जाती है, वहाँ उधार महर का रिवाज नहीं न उधार महर का हदीस में कहीं जिक्र है। अलबत्ता यह खराबी सऊदिया में भी पाई जाती है कि महर बहुत ज़ियादा होता है, आम तौर से एक लाख रियाल से ज़ियादा ही होता है और दूसरी खराबी यह है कि यह महर की रकम बाप अपना हक समझता है। जो दीनदार कहलाते हैं उन के यहाँ भी महर तीस हजार रियाल होता है उसे वह लड़की के नये मकान के फर्नीचर वगैरा पर खर्च कर देते हैं। जब कि आम लोग महर लड़की को न देकर अपना बैंक बैलंस कर लेते हैं।

जब हज़रत अली (रज़ि0) ने 480 दिरहम महर की रक़म पेश कर दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस में से कुछ रकम हज़रत बिलाल (रज़ि0) को दी कि इस से खुशबू वगैरह ज़रूरत की चीज़े खरीद लाएं और कुछ रकम हज़रत अनस (रज़ि0) की वालिदा उम्मे सुलैम के हवाले की कि उस से ज़रूरत का सामान तय्यार करे अन्दाजा होता है कि जो जहेज हज़रत फातिमा (रज़ि0) के साथ किया गया वह वही है जो उम्मे सुलैम ने तय्यार किया था। इस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को हज़रत अली का पैगाम पहुँचा दिया था और वह चुप रही थी।

जब सामान की तय्यारी हो गई तो हज़रत अनस को हुक्म हुआ कि अबू बक्र, उमर, उस्मान, तलहा, अब्दुर्रहमान वगैरह मुहाजिरीन और कुछ अन्सार को बुला लाओ, जब वह लोग मस्जिदे नबवी में जमा हो गये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुत्बा पढ़ा फिर हज़रत अली को मुखातब कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अल्लाह के हुक्म से 400 मिस्काल चाँदी पर फातिमा को तुम्हारे निकाह में दिया क्या तुम ने क़बूल किया? हज़रत अली ने अर्ज किया सर आँखों कुबूल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआइया कालिमात कहे और छूहारे का तबका सहाबा के आगे कर दिया सहाबा ने खुश-खुश अपने हाथों उठा लिया बाज रिवायात में शहद के शरबत की तक्सीम का भी जिक्र मिलता है लेकिन निकाह में शिरकत के लिए बुलाए गये सहाबा (आज की जबान में बारातियों) को दावत खिलाने की कोई रिवायत नहीं मिलती।

महरे फातिमी

महरे फातिमी में कोई इख्तिलाफ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 मिस्काल चाँदी पर निकाह पढ़ाया जब कि महर 480 दिरहम अदा किया गया और दिरहम भी चाँदी का होता था जिस का वजन 400 मिस्काल से काफी कम होता है। (400 मिस्काल=571 दिरहम वज़न् में) लेकिन वाजेह रहे कि दिरहम सिक्का है और मिस्काल वजन का बाँट। (हमारे बचपन में चाँदी का रूपया चलता था उस वक्त चाँदी एक रूपये के सवाए वजन पर मिलती थी।) जिरा की कीमत 400 मिस्काल चाँदी के बारबर थी, जब कि जिरा 480 दिरहम में बिकी लिहाजा महरे फातिमी बिला इख्तिलाफ 400 मिस्काल चाँदी यानी 150 तोला चाँदी यानी एक किलो 750 ग्राम चाँदी (तकरीबन) जिस की कीमत उस वक्त के सिक्कों में 480 दिरहम थी अब आज के भाव में जो हो।

रुखसती

रुखसती की मुखतलिफ रिवायात हैं लेकिन जब निकाह से पहले ही खुशबू वगैरह और घरेलू सामान की खरीदारी हो चुकी थी तो हम उसी रोज की रुखसती की रिवायत को तरजीह देते हैं चुनांचि शाम को इशा बाद हज़रत उम्मे ऐमन, हज़रत साय्यदा को हज़रत अली के घर पहुँचा आईं साथ में जो घरेलू सामान था जो हज़रत अली (रज़ि0) के पेश किये हुए 480 दिरहम ही से तय्यार किया गया था बाज सहाबा ने उसे हाथों हाथ हज़रत अली के घर पहुँचा दिया था। उस सामान की भी रिवायात मुखतलिफ हैं जिन रावियों ने उन का अहाता किया है उन के मुताबिक यह सामान था।

एक बिस्तर (गद्दा) एक नकशीं तख्त, चमडे का तकिया, मशकीज़ा (छागल) पानी के लिये दो बरतन (घड़े) चक्की, प्याला, दो चादरें, दो बाजूबन्द (चाँदी के) एक जानमाज़।

वलीमा

दूसरे रोज हज़रत अली (रज़ि0) ने जो मुयस्सर आया (प्राप्त हुआ) सादगी से वलीमा किया जिस में जौ की रोटी, मेंढ़े का गोश्त खजूर, पनीर और हरीरा था। बाज रिवायात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मालीदे का भी जिक्र आता है।

यह बयान मैंने तालिब हाशिमी की "सीरत फातिमतुज़्ज़हरा (रज़ि0)" नीज़ मौलाना आशिक इलाही साहिब की किताब "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिब जादियाँ (रज़ि0)" से लिया है दोनों किताबों में तमाम बयानात अरबी की मुअतबर किताबों के हवाले से लिखे गये है। क्या यह बयान हमारे लिये उस्वा नहीं है? बेशक है।

बालिग़ लड़का खुद लड़की के बाप को उस की बेटी का पैगाम दे सकता है। यह बात अलग है कि वह अगर शर्म से हिम्मत न कर सके तो उस के करीबी रिश्तेदार पैगाम दें। बेहतर यही है कि बाप मौजूद हो तो पैगाम बाप को दिया जाए।

2. लड़का महर अदा करने के लाइक हो।

3. बाप को चाहिये खुद अपनी बेटी को पैगाम की खबर दे और उसकी खामोशी को रजामन्दी समझे। बाप न हो तो जो करीबी वली हो उसी को पैगाम दिया जाए और वही लड़की से इजाजत ले और बाप की काइम मकामी करें।

4. बेहतर यह है कि बात तै हो जाने पर महर की रकम लड़की के बाप के हवाले हो जाए ताकि बाप उस रकम से अपनी बेटी की रुखसती का सामान कर सके अगर्चि सहीह यह भी है कि लड़का महर अपनी बीवी को अदा करे। हमारे फुक़हा के नज़दीक लड़की के वली की रजामन्दी पर महर उधार (मुअज्जल) भी हो सकता है।

बेहतर यह है कि बात तै हो जाने पर मस्जिद में कुछ भाइयों को ज़मा कर के उनके सामने बाप खुद या उसका वकील खुत्बा पढ कर ईजाब कबूल करा दे।

जायज़ यह भी है कि अपने अजीज़ों को शरीक करने के लिये निकाह व वलीमा की तारीख मुकर्रर कर ली जाए लेकिन इस के लिये मंगनी और दिन धरने की रस्मों का कोई जवाज़ नहीं।

बारात का कोई जवाज़ नहीं अगर लड़के (नौशा) के साथ उस के दो चार अहबाब हों और उन की, खाने पीने से खातिर दारी की जाए

शेष पृष्ठ 13

किस्त : 18

जननायक

हज़रत मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी

अनुवाद मु० गुफ़रान नदवी

हिलफुलफुज़ूल

एक गरीब और बाहरी (कबील–ए–जबीद) का आदमी कि उसके हक की आदइगी में एक सम्मानित पुरूष आस बिन वाएल की तरफ़ से जियादती हो रही थी तो खानदान के कुछ सम्मानित लोगों ने हक़दारों को हक़ दिलाने के लिये एक कमेटी की तशकील (रचना) की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें भी शरीक हुवे और जब भी खानदान या शहर के जाएज़ मआमलात में कुछ करने की ज़रूरत पड़ती आप उसमें शरीक होते, आप की दियानत व अमानत को देखते हुवे लोगों को इतना एतिबार हो गया था कि लोग आप के पास अपनी अमानत रखते और विश्वास करते।[1]

हज़रत ख़दीजा के साथ तिजारत में शिरकत और निकाह

एक शरीफ़ खानदान की बाइज्ज़त और मालदार, खातून (महिला) थीं जो तिजारती माल बाहर से मंगवातीं और भेजवातीं थीं, और बेवा (विधवा) हो जाने पर अपने व्यापारिक माल को बाहर भेजने के सिलसिले में किसी दियानतदार (विश्वसनीय) और समझदार मर्द की मदद की ज़रूरत महसूस करने लगी थीं जो उनके गुलाम के साथ सफर करे और गुलाम की सरपरस्ती और निगरानी (देख भाल) रखे, उन्होंने आप की खूबियों से जानकारी की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मदद करने की फरमाइश (माँग) की और आप को गुलाम के साथ ज़िम्मेदार बनाकर बाहर भेजा और इस तरह आप की कारकरदगी और अमली सलाहियत (कार्य कुशलता) को जाँचा, आप ने अपने उस सफर (यात्रा) से उन खातून (महिला) का मआमला बहुत नफा के साथ पूरा किया, इसके अलावा आप के साथ गए हुवे गुलाम ने भी आकर आप की कारकरदगी और दियानतदारी (सच्चाई) की बहुत तअरीफ (प्रशंसा) की, चुनांचि उन खातून ने जबकि दूसरे कई मुअज्जज़ (सम्मानित) लोगों के पैग़ाम उनसे रिश्ते के आए थे और उनसे मअ़जरत (क्षमा याचना) कर दी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद रिश्ते की पेशकश की, यह हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलद थीं[2] यह उम्र में आप से पन्द्रह साल बड़ी थीं, लेकिन आप की जो खूबियाँ उन्होंने देखीं उनकी बिना पर आप से शादी का रिश्ता क़ाएम करने का फैसला किया, आप की उम्र पच्चीस साल और हज़रत खदीजा की उम्र चालिस साल थी, लेकिन आप भी उनको जीवन साथी बनाने पर तय्यार हो गए, और उम्र के इस अन्तर को अनदेखा किया और उनके समझदार खानदान में उनकी जो इज्ज़त थी उसको क़ाबिले तरजीह (प्रमुखता योग्य) समझा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह था, जो आम इन्सान अपने से बड़ी उम्र की खातून से नहीं करता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छाइयों और खूबियों को सामने रखने वाले मिजाज के थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुशी से कुबूल कर लिया[3] निकाह कर लेने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बाक़ाएदा तौर पर (नियम पूर्वक) घरवाले हो गए, दूसरी तरफ़ तिजारती (व्यापारिक) मआमले में एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लाएक़ हो गए, दोनों ने बहुत मुहब्बत और तअल्लुक के साथ रिश्ता निभाया और शहर में भी नेकनामी के साथ जिन्दगी के फराएज़ (कर्तव्य) अनजाम देते रहे।

इस निकाह के नतीजे में हज़रत खदीजा के जो आप की अब महिला (पत्नी) हो गईं थीं, कारो बार में आप को ज़ियादा अधिकार हासिल हुवे और उसके प्रभाव से

1. अल–कामिल फितारीख : 2/41–42

2. अल–कामिल फितारीख : 2/40

3. उसुदुलगावा : 1/16

आप को मआशी (जीविका) संबन्धी जो फ़िक्र थी वह क़रीब–करीब जाती रही और आप को मक्का के माहौल में दीन के सिलसिले में जो गुमराही (पथ भ्रष्टता) नज़र आती थी उससे बचते हुवे अल्लाह तआला की याद और इबादत की ओर ज़ियादा तवज्जूह देने लगे, यह अधिकतर तनहा जगह जाकर अपने रब का ध्यान करने और याद करने की सूरत में होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा की तरफ़ से एक गुलाम भी जो हज़रत जैद बिन हारिसा थे आप को हासिल हुवे, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अच्छे मददगार बन गए थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्सानी जज़्बे (भावना) के तहत गुलामी से आज़ाद करके अपना साथी बना लिया, जो उस ज़माने में मुतबन्ना (मुंह बोला बेटा) बनाने के तरीके से भी किया जाता था।

अबूतालिब के बेटे हज़रत अली को अपनी कफ़ालत (पालन पोषण) में लेना

दूसरी तरफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मआशी तौर पर सुहूलत मिलने पर अपने मुशफ़िक़ (कृपालु) और इनतिहाई हमदर्द चचा अबूतालिब की तंग हाली का एहसास बढ़ गया, इसी एहसास की वजह से आप ने अपने दूसरे चचा हज़रत अब्बास के सामने यह तजवीज रखी कि अबूतालिब के चूंकि कई लड़के हैं, उनका मआशी बोझ उनके लिये ज़ियादा है, लिहाज़ा उनमें से कम से कम दो को हम दोनों अपनी–अपनी कफ़ालत में लेकर उनके लिये आसानी की सूरत पेश कर दें, चुनांचि इस प्रस्ताव के अनुसार, एक को हज़रत अब्बास ने अपने साथ कर लिया और दूसरे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ कर लिया हज़रत अब्बास (रज़ि0) ने अक़ील की ज़िम्मेदारी ली और आपने हज़रत अली को लिया, हज़रत अली की उम्र भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से तीस साल कम थी, यह फ़र्क़ आम तौर पर बाप का बेटे से होता है, उनको अपनी कफ़ालत में लेते वक़्त उनकी उम्र लगभग पाँच साल की रही होगी और आप की उम्र पैंतिस साल रही होगी, यूँ वह पूरी जिन्दगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेटे की तरह रहे, आप ने चचा जाद भाई होने का भी ख़्याल रखा

❑❑

हम कैसे ढायें?

इस विधि की जाँच यह है कि बच्चों में आत्मविश्वास और बिना दूसरे की मदद के अपना काम आप करने की आदत पैदा हो जाये।

प्रयोग की शर्तें

इस विधि का प्रयोग केवल उन्हीं बच्चों की शिक्षा में हो सकता है जो शिक्षा की प्रारम्भिक बातें सीख चुके हों। (जारी....)

❑❑

क़ुरआन की शिक्षा

और हम उन की राज की बातें उड़ा लाते हैं इस पर भी वह हमारे फरेब (छल) को नहीं समझते।

8. चूंकि अल्लाह तआला ने मुसलमानों को फरमा दिया कि वह मुनाफिक़ीन के साथ मुसलमानों जैसा मुआमला करें, उन के जान व माल से छेड़ छाड़ न करें, मुनाफिकिन अपनी बेवकूफी से समझे कि ईमान लाने से जो फाइदा मुसलमानों को हुआ वह सारे फाइदे हम को सिर्फ जबानी इस्लाम जाहिर करने से मिल गये इस लिये वह बिल्कुल मुतमइन हो गये हालांकि मुनाफिकीन का अंजाम सख्त होगा, उन का मुनाफिक़ाना अमल उनको सख्त बला में फंसाएगा। उन का नतीजा सख़्त खराब है तो समझिये कि हकीकत में हंसी किस की उड़ाई गई मुसलमानों की या मुनाफिक़ीन की? या उन के हंसी उड़ाने का मतलब हुआ कि अल्लाह तआला उन को हंसी उड़ाने की सख्त सज़ा देगा।

9. यानी अल्लाह तआला की तरफ़ से उन को ढील दी गई यहाँ तक कि उन्होंने सरकशी की और उस में खूब तरक्की की और ऐसे बहके कि उस अंजाम का कुछ न सोचा और खुश होते रहे कि हम मुसलमानों की हंसी उड़ाते हैं हालांकि मुआमला उल्टा था। अल्लाह तआला उन को अपनी गिरिफ्त में ले रहा था।

❑❑

क़िस्त–एक

ग़ैर इस्लामी अख़्लाक़ (नैतिकता) क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में

– मौ० सै० अब्दुल्लाह हसनी नदवी

– नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

इस्लाम ने समाज को हर प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए ऐसी सभी बातों को अवैध और वर्जित करार दिया है जो सोसाइटी की हीनता और समाज के बिगाड़ का कारण बनती हैं। चाहे उनका सम्बन्ध घर वालों और मुहल्ले वालों से हो और चाहे कार्यालय के कर्मचारी और व्यापारियों से, चाहे उनका मैदान मुहल्ले की तंग और अंधेरी कोठरियाँ या शहर के पुररौनक बाजार हों चाहे क्लर्कों की मेजें या कचहरियों के हाल हों, हर स्थान और हर अवसर पर इस्लाम का बेलाग कानून जारी रहेगा और हर समय अपना कर्तव्य निभाता रहेगा।

झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठी कसमें खाना, ख़्यानत करना, वादाखिलाफी करना, गद्दारी व दग़ाबाजी करना, किसी पर झूठा आरोप लगाना, चुग़ली करना, बेजा शिकायत करना, बदगुमानी करना, बेजा चापलूसी करना, हद से ज़ियादा धन लोभी होना, नाप–तौल में कमी करना, घूस लेना, सूदखोरी का धंधा करना, शराब पीना, अत्याचार करना, अपने आगे किसी को कुछ न समझना, फुजूलखर्ची करना, द्वेष व इर्ष्या करना, गन्दी और अश्लील बातें करना, आदि वह सभी काम जो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करने और मन को बुरा करने तथा समाज में फसाद फैलाने का माध्यम बने इस्लामी दृष्टि से ये सब नाजायज व हराम हैं। इस्लामी शिक्षा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। पवित्र क़ुर्आन में उनसे सम्बन्धित आदेश है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने इनमें से प्रत्येक के बारे में अलग–अलग पुर्ण और स्पष्ट निर्देश दिया है।

झूठ और ख़्यानत

पवित्र क़ुर्आन में है कि "ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके रसूल (सन्देष्टा) की ख़्यानत न करो और न उसकी अमानतों में जानकर बददियानती करो, (सूरः अन्फाल)। हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने झूठ की एक किस्म के बारे में कहा कि आदमी को ये झूठ काफी है जो सुने वह कहता फिरे। हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने एक बार फरमाया कि मुनाफिक (कपटी) की निशानी तीन हैं, जब बोले झूठ बोले, जब वाअ़दा करे तो न निभाऐ, जब अमानतदार बनाया जाऐ तो ख़्यानत करे, चाहे वह नमाज़ पढ़ता हो, रोजे रखता हो और समझता हो कि वह मुसलमान है (बुख़ारी व मुस्लिम)। एक बार आप (सल्ल0) ने फरमाया कि मुझसे तीन बातों का ज़िम्मा लो मैं तुम्हारे लिये जन्नत (स्वर्ग) का ज़िम्मा लेता हुँ, जब बोलो तो सच बोलो, जब वाअ़दा करो तो पूरा करो और जब अमानतदार बनो तो ख़्यानत न करो, (मुस्नद अहमद व हाकिम) झूठ इल्ज़ाम के बारे में क़ुर्आन ऐलान करता है कि "और जो कोई ग़लती या पाप करे फिर वह उसकी मिथ्यारोप (तोहमत) किसी बेगुनाह पर धरे उसने लाँछन और खुला पाप अपने सर लादा" (सूरः निसा)।

बेईमानी, चोरी और नाप–तौल में कमी

इस कायनात के पैदा करने वाले ने हर व्यक्ति के अधिकार तय कर दिये हैं और उसको अपनी चीज़ों में खर्च करने का अधिकार दे दिया है। अब दूसरे को ये हक नहीं पहुँचता कि बिना आज्ञा वह उसकी सम्पत्ति का उपयोग करे। अब यदि कोई बेईमानी से, चोरी और धोखेबाजी से जबरदस्ती किसी की सम्पत्ति हथियाना चाहे तो वह जगत के पैदा करने वाले और चलाने वाले के न्याय–प्रबंध को छिन्न–भिन्न करना चाहता है उसी को क़ुर्आन ने यूँ कहा हे कि "ऐ ईमान वालो! परस्पर एक दूसरे की सम्पत्ति को अवैध ढंग से मत खाओ" (सूरः निसा)।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने फरमाया कि उभयपक्ष में से कोई एक अधिक बात बनाने वाला है तथा वह अपने दावे को अच्छे अन्दाज

से बयान करता है और मैं उसके हक़ में निर्णय दे देता हुँ यदि मैंने कोई ऐसी वस्तु दिला दी जो उसकी नहीं तो स्वयं न ले क्योंकि मैंने उसको आग का टुकड़ा दिया है" (अबूदाऊद)। यदि कोई व्यक्ति वाकपटुता के जादू से किसी के माल पर कब्जा कर लेता है और उपयोग में ले आता है तो ये उसके लिए किसी प्रकार वैध नहीं चाहे उसको उपयोग की आज्ञा सुप्रीम कोर्ट ही से क्यों न मिली हो।

हज़रत उबादः बिन सामित (रज़ि0) कहते हैं कि एक बार हम लोग हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) के पास बैठे हुए थे, आप (सल्ल0) ने फरमाया कि हम से वाअ़दा करो कि तुम शिर्क, चोरी और व्याभिचार न करोगे, फिर कुर्आन की आयत पढ़ी, कि जो कोई ये वचन पूरा करेगा तो उसकी मज़दूरी अल्लाह के जिम्मे है और जो उनमें से किसी एक का अपराधी बना और उसकी सजा उसको दे दी गई तो उस पाप का प्रायश्चित हो गया। यदि किसी ने उनमें से किसी एक पाप को कर लिया और खुदा ने उसको छुपा दिया तो उसको क्षमा करना अल्लाह के हाथ में है, चाहे क्षमा करे चाहे दण्ड दे, (बुख़ारी)। पवित्र कुर्आन में अल्लाह का आदेश है कि "और पूरा भर दो नाप, और न हो नुकसान देने वाले में और तौलो सीधी तराजू से, और मत घटा कर दो लोगों के उनकी चीज़ें और मत फिरो देश में फसाद फैलाते" (सूरः शअ़रा)।

चुग़लखोरी (परोक्षनिन्दा)

किसी को अपमानित करने हेतु अफवाह बाज़ी की कुर्आन ने कठोर निन्दा की है और उसी के साथ हर चीज़ पर कान धरने और बिना जाँचे–परखे हर बात मान लेने को नापसन्द किया है "ऐ ईमान वालो! यदि कोई पापी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आऐ तो जाँच लो कि कहीं किसी कौम पर नादानी से जा न पड़ो फिर अपने किये पर पछताने लगो, (सूरः हुजरात)

एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने फरमाया कि तुम्ही बताओं की सबसे बुरे लोग कौन हैं फिर स्वयं ही बताया कि जो पीठ पीछे बुराइयाँ करते फिरते हैं और दोस्तों के आपस के सम्बन्ध खराब करते हैं" (मुस्नद अहमद)। पवित्र कुर्आन में है "जब तुम लगे अपनी जबानों से उसकी नकल दर नकल करने और अपने मुंह से ऐसी बाते कहने लगे जिसकी तुमको मुतलक) खबर नहीं, और तुमने उसको ऐसी हल्की बात समझा यद्यपि वह अल्लाह के निकट बड़ी सख़्त बात है।(सूरः नूर)

ग़ीबत (परोक्षनिन्दा) और ऐबजोई (दोषान्वेषण)

ग़ीबत व ऐबजोई, दुर्भावना व अनैतिकता से सख़्ती से रोका गया है क्योंकि जिस समाज में दोष पैदा हो जाता है वह समाज, सुधार और खुशगवार माहौल से कट जाता है। परस्पर वैमनस्य का ऐसा वातावरण बन जाता है जो प्रत्येक को न समाप्त होने वाले कष्ट से ग्रस्त कर देता है। कुर्आन ने उन सबको सामूहिक तौर पर एक स्थान पर इक्ट्ठा कर दिया है कि "मुसलमानों! मर्द, मर्दों पर न हंसे, अजब नहीं कि (जिन पर हंसते हैं) वह (अल्लाह के निकट) उनसे अच्छे हों, और न औरतें, औरतों पर हंसे, अजब नहीं कि (जिन पर हंसती हैं) वह उनसे अच्छी हों, आपस में एक दूसरे को ताने न दो और न एक दूसरे को नाम धरो, ईमान लाने के पश्चात बदतहजीबी का नाम ही बुरा है और (जो इन कार्यकलापों से न रूके तो वही (अल्लाह के निकट) अत्याचारी है, मुसलमानों! (लोगों के सम्बन्धित) अत्याधिक सन्देह करने से बचते रहो, क्योंकि कुछ सन्देह पाप हैं और एक दूसरे की टोह में न रहा करो और तुममें से एक को एक पीठ पीछे बुरा न कहे, भला तुम में से कोई (इस बात को) गवारा करेगा कि अपने मरे हुए भाई का माँस खाए तो तुमको घिन आएगी और अल्लाह से डरो निःसन्देह अल्लाह प्रायश्चित स्वीकार करने वाला, दया करने वाला है" (सूरः हुजरात)

अत्याचार

वास्तव में वह समस्त कार्य जो निर्लज्जता, अश्लीलता, नास्तिकता और अनेकेश्वरवाद से सम्बन्धित हैं, वह अत्याचार के परिधि में आते हैं, किन्तु आशय यहाँ उस अत्याचार से है जो इन्सान इन्सान पर करता है। इस्लामी शरीअ़त में अत्याचार वर्जित है। पवित्र कुर्आन कहता है कि "कह दो मेरे रब ने निर्लज्जता (बेहयाई) के कामों को जो खुले हो

अथवा छुपे और पाप तथा हक़ के बिना उद्दण्डता (सरकशी) को हराम ठहराया'' (सूरः एराफ)।

एक ओर इस्लाम ने जुल्म की जड़ उखाड़ फेंकी है तो दूसरी ओर ज़ालिमों की सहयता न करने का आदेश दिया है और अपनी बिरादरी और अपने भाई की सहायता करने का ढंग सिखाया है ''तक्वा और नेकी के कामों पर एक दूसरे की मदद करो और पाप तथा अत्याचार पर एक दूसरे की सहायता न करो (सूरः माईदः)। हदीस में है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने ये हदीसे कुदसी को बडे ही प्रभावपुर्ण शैली में सुनाया कि अल्लाह अपने बन्दों से फरमाता है कि मेरे बन्दों! मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए परस्पर अत्याचार को वर्जित किया तो तुम एक दूसरे पर जुल्म न किया करो'' (मुस्लिम)।

अत्याचार ऐसा असभ्य और अपवित्र कार्य है कि जिससे अच्छाई और कामयाबी की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती, यद्यपि जाहिरी आँखे अत्याचारियों के दौर–दौरे को देख रही हों और वह अल्लाह के पकड़ से बचते चले जा रहे हों किन्तु ये याद रखना चाहिये कि अल्लाह के यहाँ देर *तो हो सकती* है लेकिन अन्धेर नहीं। अत्याचारी को अत्याचार का बदला मिलकर रहता है और मजलूम की बददुआ रंग लाती है ''शाइर ने कहा है कि :–

जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं
नाव कागज की सदा चलती नहीं

ईर्ष्या और अश्लील बातें

समाज की बर्बादी और सोसाइटी की खराबी के लिए दो ऐसे कारण उपलब्ध हैं जो आजकल विषेशतः समाज के फसाद का माध्यम बन रहे हैं और उनमें भी ईर्ष्या का जो रोल है वह बहुत ही घिनावना है। इस सम्बन्ध में इस्लाम ने शुरू से ही मुसलमानों के मन–माष्तिक में उसकी बुराई, खराबी बैठाने और विचारधारा को उससे बलन्द रखने की ताकीद की। हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने फरमाया कि तुम लोग ईर्ष्या (हसद) से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस प्रकार खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है, (अबू दाऊद)।

इस प्रकार दुर्व्यवहार, अश्लील बातें और बुरे शब्दों का प्रयोग आदमी को सोसाइटी में अछूत बना देता है और लोग उसके निकट आना भी बुरा समझते है। एक आदमी हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) से मिलने आया आप (सल्ल0) ने उसको देखा तो फरमाया कि अपने कबीले में ये बहुत बुरा आदमी है किन्तु जब वह आप (सल्ल0) के पास बैठा तो आप (सल्ल0) उससे बहुत गर्मजोशी के साथ मिले, जब वह चला गया तो हज़रत आइशा (रज़ि0) ने कहा कि जब आप ने उसको देखा तो बुरा कहा फिर उससे बड़े प्रेम–भाव से मिले, फरमाया आईश (रज़ि0) तुमने हमको बदज़बान कर दिया। अल्लाह के समीप प्रलय (कियामत) के दिन सबसे बुरा व्यक्ति वह होगा जिसकी बद ज़बानी के भय से लोग उसको छोड़ दें (बुख़ारी) जारी......

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मुस्लिम की एक रिवायत है कि जो सोने चाँदी के बरतन में खाता पीता है और एक रिवायात में जो सोने चाँदी के बरतन में पीता है वह अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है।

लिबास का बयान

सफेद कपड़ों को तरजीह

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सफेद कपड़े पहना करो यह सब कपड़ों से बेहतर है और अपने मुरदों को भी सफेद कफन दो। (अबूदाऊद, तिर्मिजी)

हज़रत समरह (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सफेद लिबास इख्तियार करो, यह बहुत पाकीजह और सुथरा है और अपने मुरदों को भी सफेद कफन दो। (नसई)

मुख़्तलिफ रंग के कपड़ों का सबूत

हज़रत बराआ (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मयानह कद थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्यगूं जोड़ा पहने देखा, मैंने ऐसा साहबे ज़माल आप से बेहतर किसी को नहीं देखा।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

? आपके प्रश्नों के उत्तर ?

मुफ़्ती मु० ज़फर आलम नदवी

प्रश्न : निकाह के बारे में इस्लाम का नुक़्त–ए–नज़र (दृष्किोण) क्या है?

उत्तर : निकाह इस्लाम में कुछ उसूल व जवाबित की रिआयत करते हुए मर्द व औरत के बीच वह मुआहदा (समझौता) है, जो इन्सानी नस्ल के बाकी रहने, आब्रू की हिफाज़त (सुरक्षा) आपस के मेल और महब्बत और दिल के सुकून का जरीआ (साधन) है। जिस में इलाही हुक्म की तअ़मील (निष्पादन) और नबी (सल्ल0) की सुन्नत का इत्तिबाअ़ (अनुकरण) भी है, और इन्सान की अपनी फित्री ख़्वाहिशात (प्रकृतिक इच्छाओं) और जाइज़ तक़ाजों की तक्मील (पूर्ति भी हो। इस लिये निकाह इस्लाम में एक इन्सानी समाजी ज़रूरत भी है और बेहतरीन इबादत भी। (अलफ़िक़हिल इस्लामी व अदिल्लतुहू : 9/6513)

प्रश्न : क्या निकाह हर शख़्स के लिये जरूरी है? अगर कोई निकाह के बाद के झमेलों से बचने के लिये निकाह न करे तो क्या वह गुनहगार होगा?

उत्तर : निकाह इस्लाम में पाकीज़ा मकासिद, इन्सानी नस्ल के बाकी रखने और अच्छा समाज बनाने के लिये किया जाता है, इस लिये जो शख़्स बीवी की जरूरियात रोटी, कपड़ा, घर पर कुदरत रखता हो और उस को डर हो कि निकाह न करने की सूरत में गुनाह (व्यभिचार) में फंस जाएगा तो ऐसे शख़्स के लिये निकाह करना फर्ज़ है।

(वदाए अुस्सनायेअ़ : 2/483)

लेकिन अगर गुनाह में पड़ने का डर न हो तो निकाह करना फर्ज़ तो नहीं मगर सुन्नते मुअक्किदा है और झमेलों से बचने के लिये निकाह न करना, सुन्नते मुअक्किदा छोड़ने का गुनाह है। (रद्दुलमुख़्तार : 4/65)

प्रश्न : पयामें निकाह का मसनून तरीका क्या है?

उत्तर : पयामे निकाह का पैग़ाम देने का इस्लाम में अच्छा तरीका यह है कि पैग़ाम देने वाला बालिग़ लड़का या उसका वली या करीबी रिश्तेदार लड़की के करीबी वली को पैग़ाम भेजे लड़की की हया का लिहाज करते हुए यही तरीक़ा अच्छा है अगर्चि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अज़वाजे मुतहिरात को पैगाम दिया है अलबत्ता किसी खास वजह से लड़की या उस के वली की तरफ़ से भी पैगाम दिया जा सकता है। यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है।

प्रश्न : दो खान्दानों के बीच रिश्ता तै हो जाने के बावजूद उस लड़की को दूसरा शख़्स पैगाम दे तो यह शख़्स कैसा है?

उत्तर : दो खान्दानों के बीच जब रिश्ता तै हो जाए तो किसी और के लिये उस लड़की को पैगाम देना नाजाइज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस से रोका है। (बुख़ारी हदीस न0 772) और अगर किसी ने अभी पैग़ाम दिया है और अभी रिश्ता तै नहीं हो सका तो दूसरा शख़्स पैग़ाम दे सकता है।

(हिदाया : 5/50)

प्रश्न : निकाह के रिश्ते के इन्तिखाब में शरीअत का क्या हुक्म है। अगर दौलत या उहदा देख कर इन्तिखाब करे तो क्या यह जाइज होगा?

उत्तर : निकाह के रिश्ते के इन्तिखाब में बेहतर यही है कि सिर्फ दौलत और उहदा न देखें दीनदारी देखें, अख़लाक़ देखे। नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के इन्तिखाब में दीनदार औरत का मशवरा दिया है सिर्फ़ खूबसूरती और मालदारी के नुक्सानात बताए हैं। (इब्नि माजा) लेकिन अगर कोई माल व जाह को सामने रख कर किसी मुसलमान लड़की से निकाह करता है तो निकाह हो जाएगा इस लिये कि अल्लाह तआला ने अपनी पसन्द की औरत से निकाह करने की इज़ाज़त दी है, देखें सूरे निसा आयत 3, (औरतों में जो पसन्द हो उस से निकाह कर लो) फिर भी बेहतर यही है कि निकाह में दीनदार औरत को इख्तियार करे।

(बदयअुस्सनायेअ् : 2/117)

प्रश्न : लड़कों के इन्तिखाब में क्या

चीज़ पेशे नजर रहनी चाहिए? आज कल लोग ऊँची सर्विस वाले या डॉक्टर व इंजीनीयर की तलाश में रहते हैं, शरीअत इस बारे में क्या रहनुमाई करती है?

उत्तर : नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़को के इन्तिखाब में दीन और अखलाक़ को पसन्द फरमाया है। तिर्मिजी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की के औलिया से मुखातब हो कर फरमाया : जब किसी ऐसे शख्स की तरफ़ से पैगाम आ जाए, जिस के दीन व अखलाक से तुम मुतमइन हो तो उस से शादी कर दो वरना ज़मीन पर फित्ना व फसाद बरपा होगा। (तिर्मिजी : 1/148) इस रिवायत से पता चला कि दीनदार और बा अखलाक़ लड़के का इन्तिखाब करना बहर हाल जरूरी है। फिर भी अगर उहदा व मन्सब वाले/दुन्यादार मुसलमान का इन्तिखाब किया गया तो निकाह हो जाएगा।

प्रश्न : सरकारी मकान जिस की नक्द कीमत 10 लाख है, लेकिन अगर किस्त पर लिया जाए तो पहले दो लाख नक्द जमा कराते हैं कि 9 लाख दो साल की किस्तों पर ज़मा करना पड़ता है, मेरे पास 10 लाख नक्दी नहीं हैं और मकान की जरूरत है तो क्या मैं किस्त पर मकान ले सकता हूँ जब कि उस में एक लाख ज़ियादा देना पड़ेगा?

उत्तर : आप मकान किस्तों पर लेने का फार्म भरे या दरख्वास्त दें और 11 लाख अदा करें, यह आप के लिये जाइज़ होगा। आप से इस से क्या बहस कि मकान कितने का है आप ने तो किस्तों पर 11 लाख में खरीदा है यह आप के लिये जाइज़ है।

आप ने इस्लामी बैंक के बारे में दर्याफ्त किया है तो हम को उसकी जानकारी नहीं हैं।

प्रश्न : कोई औरत हक्के हज़ानत मुआफ़ कर देनी की शर्त पर ख़ुलअ़ (छूटकारा) लेले तो उसका क्या हुक्म होगा?

उत्तर : ख़ुलअ़ हो जाएगा हज़ानत का हक मुआफ़ न होगा माँ का हज़ानत का हक़ बाकी रहेगा।

(देखें अलबहरूर्राइक़, 4:180)

❑❑

ज़िक्र सय्यिदतुन्निसा ....

तो यह जायज है इसी तरह लड़की वाले के कुछ करीबी अज़ीज़ अकारिब आ जाएं तो उन की खातिर दारी जरूरी है वरना लड़की वाले पर कोई दावत नहीं। वलीमा अपनी ताकत के मुताबिक सादा हो जिस में गरीबों को जरूर शरीक करना चाहिये। इस्लामी शरीअत में जहेज की कोई गुंजाइश नहीं अलबत्ता अगर ज़रूरत हो तो महर की रकम से जरूरी घरेलू सामान मुहय्या किया जा सकता है।

इन उसूलों को अपनाएं तो हमारी शादियाँ कितनी आसान हो सकती हैं।

अल्लाह तआला हम सब को अमल की तौफिक से नवाज़े। आमीन!

❑❑

शाबाश फ़रहान!

– एम० अंसारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार अर्थात् भारत का शिक्षा मंत्रालय, शिक्षित युवा वर्ग के लिये प्रत्येक वर्ष गेट (GAET) अर्थात् ग्रेजूएट से ऐप्टीटयूड इन्ट्रेन्स टेस्ट की परिक्षा आयोजित करता है। गेट इम्तेहान में सन् 2010 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सदर बाजार के अजीत नगर मुहल्ला के निवासी मुहम्मद फ़रहान अंसारी पुत्र मुहम्मद शकील अंसारी ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर इस धरती का नाम ऊँचा किया है। बधाई और मुबारकबाद है फ़रहान को, उनके खुश नसीब माँ–बाप को, और फ़रहान के गुरूजनों को। शाबाश फ़रहान!

फ़रहान आई०आई०टी० अर्थात् इन्डियन इन्स्टीटयट ऑफ टेकनालॉजी रूड़की में इन्जीनियरिंग पढ़ रहा है। अब उसे एच0आर0डी0 मिनिस्ट्री भारत की ओर से रूपया आठ हजार मासिक की छात्र वृति प्राप्त होगी।

फ़रहान की विशिष्ट कामयाबी सन्देश देती है कड़ी मेहनत से ऊँचा लक्ष्य प्राप्त करने की। और नाम पैदा करने की, जिस की कामना हर एक के मन में होती है। धन्य हैं धरती के ऐसे सपूत!

❑❑

किस्त पाँच

मुस्लिम समाज

समाज सुधार

दीनी तालीम - महत्व और ज़रूरत

- हज़रत मौलाना सैय्यद राबे हसनी नदवी

मुसलमानों में इस समय उन के हर देश में तालीम के महत्व को अच्छा खासा महसूस किया जाने लगा है। इस की समस्याओं और जरूरतों पर ग़ौर करने के लिये मुसलमान बुद्धिजीवी तथा सूझ–बूझ वाले व्यक्तियों के सम्मेलन भी आयोजित होते हैं और जरूरत के एहसास के साथ शैक्षिक जतन भी अपनायी जाती हैं। इस की वजह से मुसलमानों की नई नस्ल के लिये शिक्षा की व्यवस्था करने का रूझान आम हो गया है। यद्यपि आवश्यकता को देखते हुए यह अभी कम है, तथापि जितना है वह एक शुभ लक्षण है।

आज़ादी से पहले शिक्षा की आवश्यकता को इस महत्व और विस्तार की निगाह से नहीं देखा जाता था। ब्रिटिश सत्ता के तहत अधिकतर क्लर्क और आफिसर स्तर के व्यक्ति तैयार करने को महत्व दिया जाता था। जीवन को बहुआयामी विकास देने की ज़रूरत के लिये शिक्षा की उपादेयता की प्रायः अनदेखी की जाती थी। आज़ादी के बाद हुनरमन्द व्यक्तियों को तैयार करने की ज़रूरत को बहुत महसूस किया जाने लगा और शिक्षण विषयों में अपेक्षाकृत विज्ञान के संकायों की ओर ध्यान बढ़ा और साइंस की विचारधारा तथा व्यावहारिकता दोनों पहलुओं को अपनाया गया।

मुसलमानों की शिक्षा के विभिन्न तत्वों में एक बड़ा और बुनियादी तत्व दीनी तालीम का रहा है। इस को मुसलमानों ने आज़ादी से पहले भी उस का मकाम देने की कोशिश की और इस से तैयार होने वाले व्यक्तियों ने मिल्लत की दीनी ज़रूरत को बड़ी हद तक पूरा किया। और इन में से एक तादाद ने आज़ादी की लड़ाई में भी विशिष्ट योगदान दिया और कुर्बानियाँ दीं, फिर आज़ादी के बाद भी यह दीनी तालीम कायम रही बल्कि इस में बढ़ोत्तरी हुई। दीनी शिक्षा के और अधिक स्कूल कायम किये गये और कायम किये जा रहे हैं, और वे क़ौम को उस की दीनी ज़रूरत के लोग एक हद तक मुहैया कर रहे हैं।

शिक्षा के भौतिक और विशुद्ध साँसारिक तत्वों के महत्व का ज्यादा एहसास रखने वाले कुछ व्यक्ति दीनी शिक्षा की तालीम के बन्दोबस्त को आवश्यकता से अधिक व्यवस्था करार देते हैं। यह लोग वास्तव में दीनी तालीम का पूरा अन्दाजा नहीं रखते। मुसलमानों को मुसलमान बाकी रखने और उन में इस्लामी जानकारी और सलाहियत पैदा करने के लिये यह दीनी शिक्षा की पाठ्शालायें बुनियादी रोल अदा करती हैं। इन को उम्मत की दीनी ज़रूरत के लेहाज से देखना चाहिये। लेकिन अफसोस यह है कि आधुनिक युग के शिक्षित मुस्लिम समाज की एक तरफ़ पश्चिमी सभ्यता भरी सोच ने एकतरफ़ा यह जेहन बनाया कि वह दीन को इन्सान को सिर्फ एक प्राइवेट मामला और और कम महत्व का मामला समझने लगे कि वह रहे या न रहे इस से मानव जीवन में कोई खास फ़र्क़ नहीं पड़ता। हालांकि (यद्यपि) मुसलमान कौम के लिये इस का दीनी अकीदा, उस के तहत व्यावहारिक जीवन इन के लिये बुनियादी हैसियत की मालिक है। इसी तरह दीनी मदरसे दीनी तकाजा और ज़रूरत के तहत जो कार्य कर रहे हैं मुसलमानों की ज़िन्दगी में उसका बड़ा महत्व है। और दिलचस्प बात यह है कि मदरसों के इस महत्व का स्वयं पश्चिमी ताकतों ने अन्दाजा लगा लिया है और यह समझ लिया है कि दीन की पाबन्दी इन्सान में सचमुच एक खासी उपादेयता (यूटीलिटी) पैदा कर देती है। अतएवं वे इस दृष्टिकोण से मुसलमानों में उभरते हुए दीनी शऊर (अनुभूति) को एक उभरती ताकत महसूस करने लगे हैं जिस को वह अपनी बेदीनी की जिन्दगी और बेहया और गुमराह सोच व सभ्यता के लिये खतरा महसूस करते हैं और इस की बुनियाद पर वह मुसलमानों के दीनी मदरसों को

अपनी दुश्मने इस्लाम सभ्यता के लिये हानिकारक समझते हैं। क्यों कि उन के नज़दीक इन मदरसो से ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो कि पश्चिमी संसार की दीन से फिरी हुई दशा और नैतिक बेबाकी और अशिष्टता व व्यक्तिगत आचरण की आज़ादी के लिये विरोधी प्रभाव रखने वाले और उनका मुकाबला करने वाले हैं। अफसोस की बात है कि हमारे पाश्चात जदा मुस्लिम बुद्धिजीवी भी दीनी मदरसों के लाभप्रद असर को अनदेखी कर के, पश्चिम की नकारात्मक विचार धारा में उसके हिमायती बन जाते हैं। हमारे यह दीनी मदरसे तीन तरह के हैं, एक प्राथमिक विद्यालय जिन को मकतब कहा जाता है, यह सामान्यतः दर्जा पाँच तक होते हैं इन में उर्दू, कुर्आन मजीद नाजिरः और अच्छी अखलाकी दीनी और तहजीबी बातें जो बच्चों की समझ के अनुरूप होती हैं, पढ़ाई जाती हैं साथ–साथ कुछ हिसाब और हिन्दी अक्षर ज्ञान भी सिखाया जाता है, इन का स्तर सरकारी प्राथमिक कक्षाओं के अनुरूप होता है।

यह पाठ्यक्रम मुसलमान बच्चों के लिये *आस्था व धर्म* के लेहाज से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इस से जो मुसलमान बच्चे महरूम रहते हैं वह अपने दीन व महजब से वाक़फ़ियत में बिल्कुल कोरे रह जाते हैं, फिर अगर उन को गैर इस्लामी माहौल मिले तो वह इस्लाम से बहुत दूर हो जाते हैं।

इन ही दीनी मकतबों में बाज़ जगह तीन साल का हिफ़्ज़ कुर्आन का कोर्स भी शामिल कर दिया जाता है जिस से बच्चे हाफिजे कुर्आन बन जाते हैं और उन से मुस्लिम उम्मत की हिफ़्ज़ कुर्आन की ज़रूरत पूरी हो जाती है जो अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है जिस के विस्तार का यहा मौका नहीं है।

मकातिब की यह तालीम कम से कम कुर्आन को कंठस्थ करने से पहले तक हर मुसलमान बच्चे के लिये जरूरी है।

इस्लामिया स्कूलों का दूसरा स्टेज माध्यमिक और उस से ऊपर की दीनी तालीम का है जिस में दीनी उलूम इस हद तक पढ़ाये जाते हैं कि उम्मत की दीनी ज़रूरत को पूरा करने वाले व्यक्ति तैयार हों, इन में मुफ्ती है, दीन की तरफ़ बुलाने वाले है, लेखक व शोधकर्ता हैं। यह कुर्आन की व्याख्या (तफसीर) और फ़िक़ा (ज्यूरिसप्रडेन्स) व हदीस से इतनी वाकफियत हासिल करते हैं जिस से वह अपनी उम्मत को दीनी ज़रूरत पूरी कर सकें। इन की हैसियत ऐसी है जैसे दुनियावी तालीम में (आधुनिक शिक्षा) कोई मेडिकल लाइन में जाकर मरीजों के इलाज की ज़रूरत पूरी करने के काबिल बनता है और कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाकर औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करता है और कोई विवादों में मुकदमों की ज़िम्मेदारी अंजाम देता है, निभाता है। इसी तरह मुसलमान की शरई और दीनी ज़रूरत को पूरा करने के लिये दीन का आलिम बनना एक अपरिहार्य आवश्यकता है।

दीनी तालीम के पाठ्यक्रम में तफसीर व फ़िक़ा व हदीस महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा रखने वाले अंश होते हैं जिस के लिये दीनी विद्यार्थी को थोड़े विस्तार के साथ कई साल लगाने होते हैं। हमारी इस दीनी ज़रूरत को पूरा करने वाले विद्यालय हमारी दीनी जिन्दगी के अस्तित्व व सुरक्षा के लिये जरूरी हैं। और यह विद्यालय आधुनिक विषयों के विद्यालयों के मुकाबले में तादाद के लेहाज़ से दस प्रतिशत भी नहीं हैं और इन की छात्र संख़्या को देखा जाये तो इन दीनी मदरसों में जाने वाले छात्रों की संख़्या अन्य विषयों के स्कूलों में जाने वाले छात्रों के मुकाबले में मात्र तीन या चार प्रतिशत निकलेगी तो क्या हमारी दीनी व इस्लामी ज़रूरत को पूरा करने के लिये इस के विद्वानों की यह संख़्या ज़िन्दगी की सामान्य आवश्यकताओं के लिये तैयार की जाने वाली 91–92 प्रतिशत संख़्या के मुकाबले में सहन नही की जा सकती हैं? उम्मत का कोई बुद्धिमान हितैषी इस बात से इन्कार न कर सकेगा कि दीनी व इस्लामी आदेशों और मूल्यों की सुरक्षा के लिये यह अत्यन्त जरूरी हैं। लेकिन सही जायजा न लेने की वजह से दीनी ज़रूरत के इन्तेजाम को ज़रूरत से अधिक समझा जा रहा है जब कि व्यावहारिक रूप में इस की मात्रा ज़रूरत से कुछ कम ही है। अगर इस सीमित

व्यवस्था को और अधिक कम कर दिया जाये या इस को दुनियावी ज़रूरत की व्यवस्था में मिला दिया ज़ाये तो हम को इस्लाम की मजहबी तालीमात से वाक़िफ़ कराने वाले और महजबी आदेशों और धार्मिक कार्यो की ओर ध्यान दिलाने वाले और उन के बताने वाले जिन की अगुवाई और मार्गदर्शन में मुसलमान मुसलमान रहने का तरीका सीखे रोज़ा, नमाज़, ज़कात व हज और पैदाइश व मौत, शादी व गमी इन सब में मुसलमान के कर्तव्यों को बताने वाले आवश्यकतानुसार भी न मिल सकेंगे।

हमारे यह आधुनिक शिक्षित लोग जो आखिरत पर और उस में पेश आने वाले हालात पर यकीन नहीं रखते वह यह तो कह सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है मरने वाला जलाया जाये अथवा बिना स्नान व नमाज़े जनाजा दफ़न कर दिया जाये, क्या फ़र्क पड़ता है क़ाज़ी न मिले तो "सिविल मैरिज" से काम चला लिया जाये। क्या फ़र्क़ पड़ता है नमाज़ पढ़ना और उस के अहकाम जानना, रमज़ान व ईद के बारे में जानकारी होना आये या न आये क्या फ़र्क़ पड़ता है आदमी को अपनी जवानी और अधेड़ उम्र में राहत व इज़्ज़त मिले यह काफ़ी है मरने के बाद क्या होगा देखा जायेगा, तो आखिरत पर यक़ीन न रखने वाले ऐसा कह सकते हैं, और दीनी तालीम के महत्व को कम कर सकते हैं लेकिन जो लोग दुनियावी ज़रूरत को मानते हुए आखिरत में पेश आने वाले मामलों पर भी ध्यान देना जरूरी समझते हैं वह तो इस के लिये तैयार नहीं कि हम दुनिया की तो पूरी फ़िक्र करें और आखिरत की राहत और इज़्ज़त को ध्यान देने योग्य न समझें। हमको तो अपनी दीनी जरूरत को भी देखना है और उस की मात्रा के लेहाज से इन्तेजाम भी करना है इस तरह अगर सौ छात्रों में से सिर्फ़ तीन–चार विद्यार्थी दीनी शिक्षा की प्राप्ति की तरफ़ जाते हैं तो उनका रास्ता रोकना या दीन की ज़रूरत को महत्वहीन समझ कर दूसरी ज़रूरतों का ताबे कर देना सही नहीं ठहराया जा सकता है।

मुसलमानों की जिन्दगी के दोनों पहलुओं अर्थात दुनियावी ज़रूरत और आखिरत (परलोक) की सलामती को पेश नजर रखना उम्मत के जिम्मेदार तबके की जिम्मदारी है। उम्मत के इलाज की ज़रूरत के लिये कितने आदमी चाहिये, सियासी ज़रूरत, कानूनी तकाजों के लिये कितने कुशल लोगों की ज़रूरत हैं, इसी तरह हमारी दीनी और अख़लाक़ी ज़रूरत के लिये कितने लोगों की ज़रूरत है, यह सब हमारे सामने होना चाहिये।

अतः हमारे दीनी मदरसों की इतनी तादाद में होना चाहिये जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके और इसी तरह वे स्कूल जहाँ से आलिम फ़ाज़िल पढ़कर निकलें। इस में उम्मत के सभी तब्कों और बुद्धिजीवियों को सहयोग देना चाहिये। यह उम्मत के किरदार को उच्च स्तरीय बनाने के लिये जरूरी है।

जारी......

❑❑

ख़्वातीने इस्लाम ....

उन के निवेदन को बहुत ध्यान से सुना और फिर उन के लिए एक खास दिन निश्चित कर दिया और उन्हें अपने प्रवचनों से लाभावन्ति किया।

हमारे नज़दीक मुसलमान औरतों का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह सुन्नत को अदा करने क़े लिए अपना अलग समारोह आयोजित करें जिसमें उलमा–ए–दीन और कौम के मार्गदर्शक उन को मुल्क की मौजूदा ज़रूरतों और मजहब के जरूरी आदेशों और कार्यो से अवगत कराएं। उम्मे हानी (रज़ि0) बिन्ते अबी तालिब ने एक बार किसी व्यक्ति को पनाह दी हज़रत अली (रज़ि0) ने इस पनाह को नाजाइज समझा और उस शख्स से लड़ना चाहा। हज़रत उम्मे हानी (रज़ि0) ने हुज़ूर से शिकायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली (रज़ि0) को इससे मना किया और उम्मे हानी (रज़ि0) से कहा (अनुवाद : ऐ उम्मे हानी जिस को तुमने पनाह दी हमने भी उस को पनाह दी) शायद हज़रत अली (रज़ि0) ने यह ख़्याल फरमाया था कि एक औरत का पनाह देना क्यों कर जाइज हो सकता है। लेकिन हुज़ूर (सल्ल0) ने इस कार्य को उचित और आवश्यक करार देकर इस बात की तालीम फरमाई कि इन मामलों में औरत को दखल देने का अधिकार प्राप्त है।

❑❑

किस्त 24

हम कैसे पढ़ायें?

अध्याय सात

अध्यापक बन्धुओं के लिए

डॉ० सलामतुल्लाह

अनुवादः एम0 हसन अंसारी

निगरानी के तहत अध्ययन की विधि

गृह कार्य की विधि में बताया गया है कि टीचर पहले से तैयार कर के कार्य दे और बच्चे उन्हें अपने तौर पर पूरा करें। और फिर टीचर क्लास में बात चीत के जरियः व्यक्तिगत सफलता का अन्दाजा लगाये और जो बातें बच्चों की समझ में न आती हो उन्हें बतायें, लेकिन इस प्रकार व्यक्तिगत कठिनाइयों का अन्दाजा लगाना आसान नहीं है। कुछ कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं कि जब काम के दौरान में पेश आती हैं तो बच्चे के लिये अति कष्ट दायक होती हैं यहाँ तक कि कभी–कभी बच्चे को वह कार्य अधूरा छोड़ देना पड़ता है, लेकिन वह उन्हें टीचर के सामने बयान नहीं कर सकता, कुछ तो इस कारण से कि उस में अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती और कुछ इस वजह से के वह थोड़ी देर बाद इसे भूल जाता है। इस विधि में एक और भी खराबी है इस में टीचर को यह मालूम नहीं हो सकता कि बच्चों के अध्ययन के सिलसिले में क्या कमियाँ हैं। इस लिये वह उन के लिये इतना उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता जितना कि उस सूरत में होता जब कि वह अध्ययन के समय उन के पास मौजूद होता और यह देखता है कि वह किस तरह काम करते हैं। इस विधि में अर्थात् निगरानी के तहत अध्ययन की विधि में इन दोनों खराबियों को दूर करने की कोशिश की गई है जिन का ऊपर उल्लेख किया गया। यहाँ बच्चे जो काम करते हैं वह टीचर की मौजूदगी में और उस की निगरानी में काम करते हैं। इस तरह टीचर उन की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करता है और उन्हें सिखाता भी है और उन का अभ्यास कराता है।

निर्देश : यह बात याद रखनी चाहिये कि यहाँ उस्ताद की मौजूदगी क्लास में मात्र व्यवस्था क़ायम रखने की नहीं है। यद्यपि व्यवस्था का होना सफल अध्ययन की पहली शर्त है। वह यहाँ बच्चें के पढ़ने की आदतों का निरीक्षण करने और पढ़ाई के सही तरीके सिखाने के लिये है। कुछ टीचर अपना फ़र्ज़ सिर्फ़ यह समझते हैं कि क्लास में व्यवस्था बनाये रखी जाये ताकि बच्चे खामोशी से अपना–अपना काम कर सकें। लकिन इस तरह वह अपने बड़े फ़र्ज़ की अनदेखी करते हैं। इन का यह कार्य इस विधि के मकसद को पूरा नहीं करता।

2. निगरानी के तहत पढ़ाई के पाठ बहुत होशियारी से क्रमबद्ध करना चाहिये। टीचर के लिये जरूरी है कि वह पाठ के उद्देश्यों से भली प्रकार परिचित हो, और उसे स्वयं दिये हुए काम के लिये जरूरी सन्दर्भ मुहैया करना चाहिये। और उसे स्वयं इन हवालों से भली प्रकार परिचित होना चाहिये। कभी–कभी यह भी उचित होगा कि बच्चे स्वयं अपनी ज़रूरत के अनुसार हवाले (सन्दर्भ) तलाश करें और लाइब्रेरी से लाभ उठाना सीखें और बहुत सी लाभदायक किताबों से सीधे वाकिफ हो जाये। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस काम में समय ज़रूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है। अतः सामान्यतः यही बेहतर है कि टीचर स्वयं हवाले की किताबें उन के लिये उपलब्ध करा दे।

3. काम के दौरान बच्चों के मन में अनेक प्रश्न पैदा हो सकते हैं। टीचर को चाहिये कि वह बच्चों को इन सवालों के हल करने में मदद दे, इस प्रकार त्रुटियाँ दूर करने के बाद बच्चे इसे आसानी से पूरा कर लेंगे।

काम करने के तरीके वाद–विवाद के द्वारा सामान्य नियमों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इस क्रम में संकेत, परिशिष्ट, विषय–सूची और साराँशों का सही प्रयोग

सिखा देना चाहिये, क्योंकि इन से समय और मेहनत की बचत होती है।

4. विद्यार्थियों को पढ़ाई के समय महत्वपूर्ण नोट लेने के तरीके सिखाना चाहिये। किसी विषय–वस्तु पर दक्षता प्राप्त करने के लिये यह विधि बहुत सहायक होती है। विभिन्न पैराग्राफों के शीर्षक बच्चों को स्वयं कायम करना चाहिये। दी हुई विषय–वस्तु का साराँश लिखने का अभ्यास भी इस काम में बहुत मदद देगा।

5. समझ बूझ कर समालोचना करने की आदत बच्चों में पैदा करनी चाहिये। गलत तालीम का यह असर हुआ है कि बच्चे हर छपी हुई चीज़ को सही समझ लेते हैं, अतएवं किसी बात के सही होने की दलील में बच्चे किसी किताब का हवाला दे देना काफी समझते हैं। विद्यार्थियों में यह अभिरूचि पैदा करनी चाहिये कि वह हर उस बयान की सच्चाई को अच्छी तरह जाँचें जो उन्हें गलत मालूम हो या जिस के बारे में काफी दलीलें पेश न की गई हों।

6. बच्चों को यह बताना चाहिये कि कुछ परिस्थितियों में किताबों को पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है बल्कि कहीं–कहीं से अपने मतलब की बातें ढूंढ कर पढ़ लेना काफी है। उद्देश्यों के ऐतबार से पढ़ने की कई किस्में हैं। पढ़ने की एक बड़ी लाभदायक और समय बचाने वाली किस्म वह है जिस का हमने अभी–उल्लेख किया है। किसी इबारत (गद्याँश) की मोटी–मोटी बातें समझने में इस किस्म का पढ़ना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। निगरानी के तहत पढ़ाई के पाठ में इस किस्म की मश्क (अभ्यास) देने के लिये बहुत अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। विशेष कर यहाँ यह बताना चाहिये कि किस प्रकार की किताबें जस्तः जस्तः (कहीं–कहीं से) पढ़ना चाहिये और कौन–सी पूरी–पूरी।

7. इस विधि में उन विद्यार्थियों को भी मदद दी जा सकती है जो कुछ समय तक अनुपस्थित रहने के बाद क्लास में आये हों। उन बच्चों का छूटा हुआ सबक पूरा कराया जा सकता है। इसी प्रकार नये छात्रों को भी पिछले पाठ पूरे करने में मदद दी जा सकती है जिस समय और बच्चे किसी कार्य को विस्तार के साथ करने में व्यस्त हों उस समय टीचर नये बच्चों को इस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और मोटी–मोटी बातें बता सकता है और इस तरह कुछ समय बाद वह भी क्लास के साथ चलने के काबिल हो सकते हैं।

8. इन पाठों में बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का शौक दिलाना चाहिये। कभी–कभी यह मुनासिब मालूम होता है कि बच्चे अलग काम करने के बजाय टोलियों में काम करें। यदि विषय ऐसा हो कि अलग–अलग काम के लिये अधिक उपयुक्त हो, तो भी एक दूसरे को मदद देने की इजाजत दी जा सकती है। हाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तेज बच्चे कमजोर बच्चों का काम खुद न कर दें बल्कि उन के काम में थोड़ी सी मदद दे दें इस प्रकार सहकारिता की आदत पैदा की जा सकती है।

9. इस तरीके को अमल में लाने के लिये शान्तिमय वातावरण की बड़ी ज़रूरत है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन इस का यह अर्थ नहीं है कि फौजी किस्म की व्यवस्था की जाये। सिर्फ इस का ध्यान रखा जाये कि बच्चे अपने काम में व्यस्त रहें। दूसरों के काम में अकारण बाधा न डालें। इस प्रकार उन्हें इस बात की ट्रेनिंग होगी कि अपने साथियों के हितों का भी इतना ही ध्यान रखन चाहिये जितना कि अपने हितों का।

10. इस विधि में टीचर का पूरा ध्यान बच्चों पर होना चाहिये। उसे क्लास में घूम फिर कर देखना चाहिये कि किस बच्चे को किस समय किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है। यह बात इस लिये और भी जरूरी है कि वह बच्चे सब से ज्यादा मदद के पात्र होते हैं जो सामान्यतः शर्म के कारण टीचर से अपनी कठिनाइयाँ बताने से हिचकिचाते हैं। और जो बच्चे तेज़ होते हैं वह अपनी हर कठिनाई को निःसंकोच जाहिर कर देते हैं। और इस प्रकार टीचर का समय ज्यादातर उन पर खर्च होता है। इस के अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते है जो स्वयं टीचर की ज़रूरत महसूस नहीं करते, हालांकि वास्तव में उन्हें इसकी ज़रूरत होती है।

शेष पृष्ठ 8

इन्सानियत मौत के दरवाज़े पर

- शमशुल हक़ नदवी

- एम० हसन अंसारी

लोग कहते हैं कि योरोप में सारे बिगाड़ व फसाद के बावजूद आसमानी अजाब क्यों नहीं नाजिल होता? अजाब (अभिषाप) के अनेक रूप हैं। सृष्टा की शक्ति असीम है, इस लिये अज़ाब भी ऐसी–ऐसी शक्लों में आता है जिस को लोग अजाब की परिचित शक्लों में नहीं देखते और न देखने में वह अजाब मालूम होता है, किन्तु वह अक्सर अजाब की परिचित शक्लों से भी अधिक भयावह होता है। एक व्यक्ति को हम स्वस्थ देखते हैं, न कहीं दर्द है न बुखार लेकिन वह विचित्र घबराहट से ग्रसित होता है, निराशा, अनहोनी की आशंका उस को घेरे रहती है।

योरोप का सामाजिक और खानदानी शीराजः जिस तरह बिखर चुका है। मर्द व औरत दोनों ही जिस तरह तनहाई व बेकसी महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि चाहत व प्रेम जो स्वाभाविक है, उस को पाने के लिये कुत्तों का सहारा लेने पर मजबूर हो गये हैं कि कुत्ता अपने आका का वफादार होता है। हद यह है कि सिक्यूरिटी और जासूसी के लिये भी कुत्तों ही पर अधिक विश्वास किया जाता है इन्सानी मुहाफिज़ो (गार्डस) से अधिक कुत्तों को दर्जा दिया जाता है और उन ही पर भरोसा किया जाता है। क्या कहा जायेगा इस तहजीब को जिस में इन्सान–इन्सान से भागे और खौफ खाये, लेकिन कुत्तों से मुहब्बत करे जो ज़ानवरों में भी सब से जलील समझा जाता है, क्या यह अजाब नहीं? इन्सान की फितरत में दाखिल है कि वह परिवार की खिलती कलियों को देखकर खुश होता है उस से प्यार व मुहब्बत करता है उसके बचपने और मासूमाना मुस्कराहट उस के दिल की दुनिया को खुशियाँ बाँटती है।

लेकिन इन्सान जब अनखिली कालियों को मसल दिया करे, तोड़ फोड़ कर फेंक दिया करे तो क्या वह इन्सान कहलाने का मुस्तहिक़ (पात्र) होगा? तनिक कल्पना कीजिये एक मासूम बच्चे की, भोली भाली मासूम सी सूरत, मासूम सा चेहरा, खूबसूरत आँखें, छोटे–छोटे हाथ, नन्ही–नन्हीं उंगलियाँ, वह कुछ डर और ख़ौफ़ महसूस करे तो माँ से लिपट जाये, बाप के गले में बाहें डालकर अपने को महफूज़ किले में महसूस करे। लेकिन यही माँ–बाप जब उस को इसलिये कत्ल करे दें कि वह उन की रंग–रलियों में रूकावट न बने, या इस लिये कत्ल कर दें कि न के पेट भरने की समस्या न खड़ी हो, तो ऐसे माँ–बाप को क्या कहा जायेगा? कत्ल यही नहीं कि छुरी से बच्चे की गर्दन काटी जाये, कत्ल यह भी है कि माँ के गर्भाशय (बच्चेदानी) ही में जब कि बच्चा अपनी जिस्मानी साख्त व बनावट के स्टेज से गुजर रहा है, किसी भी ज़रियः से उसको ख़त्म या खारिज कर दिया जाये।

कोई बुद्धिमान बताये कि आम के बाग़ में बौर आ रहे हैं, बाग़ वाला उस की देखा–भाल में लगा हुआ है, एक व्यक्ति जाता है और आम के फूलों को झाड़ना शुरू कर देता है। क्या बाग़ का मालिक उस फूल झाडने वाले के साथ वही मामला नहीं करेगा जो आम तोड़ने वाले के साथ करता है?

यह तो बात हुई शिशु जातों या माँ के गर्भाशय में वजूद पाने वाले बच्चों की जो कोई भी पत्नी और पति करें चाहे वह किसी भी मज़हब या देश की रीति–रिवाज के अनुसार एक दूसरे से जुड़े हों। इस शादी वाले रिश्ते में जुडे बिना मर्द व औरत का आपस में मिलना व मिलाप इन्सानी सोसाइटी में बहरहाल बुरा ही समझा जाता है। और स्वाभाविक लज्जा और शर्म, घर, खानदान या सोसाइटी में रूसवाई का डर, कुछ तो रोक लगाता है। लेकिन भ्रूणहत्या को वैश्विक स्तर पर कानूनी शक्ल देकर इस बची खुची अनूभूति का भी सफाया कर देना और इन्सानी गर्त के लिये चौपट दरवाजा खोल देना, क्या उस मानव

को जो सर्वोत्कृष्ट प्राणी है जिस की अन्य प्राणी जगत पर हुक्मरानी है, सुअर और कुत्तों से भी नीचे गिरा देने का पर्याय न होगा जो जिल्लत व रूसवाई के लिये मिसाल के तौर पर बयान किये जाते हैं।

पश्चिम अर्थात् सारे का सारा योरोप अपनी सुलगाई हुई आग में जल रहा है। बेहयाई के अजाब से उसकी परिवारिक और पर्सनल व्यवस्था बुरी तरह ख़त्म हो चुकी। वह आवारह जानवरों की सी जिन्दगी गुजारने पर मजबूर हो गया है। लेहाजा चाहता है कि पूरब भी उसी की राह पर चले। उसने पूरी दुनिया को विशेषकर मुसलमानों को जिन के यहाँ मज़हबी और अक़ायदी तौर पर (धार्मिक और आस्था के तौर पर) पूर्ण संरक्षण हैं, अपनी अमानवीय चीज़ों में ग्रसित करने के लिये रेड़ियों, टी0वी0, बी0एफ0 और रूमानी नाविलों के रूप में सारे जतन कर डाले और दुर्भाग्यवश तमाम मुसलमान मुल्कों में इस के बुरे असरात (कुप्रभाव) भी पड़े, अब भ्रूण–हत्या का आखिरी हरबः भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है।

अख़लाक़ी एनारकी (नैतिक अव्यवस्था), खानदानी उजाड़ रहन–सहन के बिगाड़ के साथ–साथ योरोप की आबादी भी तेज़ी, के साथ घटती जा रही है और पूरब की आबादी विशेषकर मुस्लिम मुल्कों की तेजी के साथ बढ़ रही है। लेहाज़ा योरोप को नफरी ताकत का ख़ौफ़ भी खाये जा रहा है इस लिये भी वह भ्रूण–हत्या और इस से भी बढ़कर समलैंगिक जैसी क्रिया को रिवाज देना चाहता है जिस से नस्ल के आगे बढ़ने का सिलसिला ही समाप्त हो जाये। वह अपने इस वहशियाना अमल (पशुप्रवृति–प्रक्रिया) को मुस्लिम मुल्कों में भी कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है।

सृष्टा ने इन्सान को इस लिये पैदा किया और उस को दुनिया में बसाया कि उस का नाम ज्यादा से ज्यादा लिया जाये। उस की असीम शक्ति दिखे। इसी लिये इस्लाम में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने का हुक्म है। अल्लाह के रसूल (सल्ल0) का फ़रमान है कि "ऐसी औरतों से शादी करो जो ख़ूब मुहब्बत करने वाली और बच्चा पैदा करने की सलाहियत वाली हो।" हर वह चीज़ जो अल्लाह की मंशा के ख़िलाफ़ और मानव–स्वभाव व प्रवृति के भी ख़िलाफ़ हो और मनुष्य के भविष्य के लिये ख़तरा हो वह अल्लाह को पसन्द नहीं। इस लिये हर ऐसी कोशिश मानवता की तबाही का कारण बनेगी, इन्सानियत माअद्दी व मानवी (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) दोनों ऐतबार से तबाह होगी। योरोप भटक गया है, बेदीन है। अतएवं उस की सोच की पहुँच सिर्फ़ काल्पनिक और मानव–बुद्धि की सीमाओं ही तक हो सकती है। आगे की बात वह समझ ही नहीं सकता कि इस के लिये नबियों के ज्ञान व शिक्षा को मानने की ज़रूरत है। योरोप अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मद (सल्ल0) जिन की शिक्षा तमाम नबियों की शिक्षाओं के साराँश के तौर पर अब कियामत तक के लिये पक्की हो गयी हैं, उन में सन्देह व शंकायें उत्पन्न करने की भी पूरी कोशिश कर चुका और बराबर कोई न कोई शोशः उस को नाकाम और कमज़ोर करने के लिये छोड़ता रहता है और वह बराबर इस कोशिश में लगा हुआ है कि इन्सानों में जो लोग अन्तिम लक्ष्य को मानते है और स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार जिन्दगी गुजारना चाहते हैं वह उन के अन्तिम लक्ष्य को भुला दे और उन को भी अपने जैसा बिल्कुल जानवर बना दे और वह चौपायें जानवरों की तरह जिन्दगी गुजारने लगे। इन्सानियत फ़ना हो कर मौत की नींद सो जाये, और इन्सान आवारा कुत्तो की सी जिन्दगी गुजारे। चिन्तन कीजिये और देखिये कि योरोप जो अपने को सारी दुनिया का हमदर्द और हितैषी साबित करना चाहता है वह कहाँ खड़ा है। वह अपनी भौतिक शक्ति के बल बूते पर सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है हालांकि खुद अपनी मौत मर रहा है। और यह असर और नतीजा है उस यहूदी प्रोटोकाल (यहूदी बुद्धिजीवियों की दस्तावेजात) का जिस में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि इन्सानी नस्ल को अख़लाक़ी और मानवी तौर पर इतना बेकार कर दिया जाये कि नस्ले इन्सानी की मानवी ताक़त बहुत कमजोर हो जाये और यहूद को अपना वर्चस्व क़ायम

रखने का पूरा मौक़ा मिले।

यह मात्र सीमित मानव बुद्धि की परिकल्पना है कि आबादी बढ़ जायेगी तो क्या खायेंगे। आबादी कम करने की आवाज़ अट्ठारहवीं सदी के अखीर बल्कि इसके पहले से उठनी शुरू हुई है। सोचिये कि अब पूरी एक सदी गुजर जाने के बाद दुनिया की आबादी कितनी बढ़ गई है लेकिन इसी के साथ–साथ जीवन के संसाधन भी कितने बढ़ते गये। और सौ साल की इस अभिवृद्धि के बाद आज के जीवनस्तर का सौ साल पहले वाले जीवन–स्तर से तुलना की जाये तो मालूम होग कि आज लोगों को वह कुछ मयस्सर (मिलजाना) है जो सौ साल पहले बड़े–बंड़े मंत्रियों, धनाढों और बादशाहों को भी मयस्सर नहीं था।

बाक़ी रहा कुछ लोगों का परेशान रहना, गरीबी से ग्रसित रहना तो यह विधि का विद्यान है इस को कियामत तक ज़ारी रहना है। इस लिये कि दुनिया की ज़िन्दगी एक भट्ठी है जो खोटे को खरे से अलग करती है और तपा तपा कर खोट निकालती है। यहाँ मुसीबतें इस लिये लाई जाती हैं कि इनके अन्दर मुकाबले की शक्ति पैदा हो। कठिनाइयाँ इस लिये पैदा की जाती हैं कि इन्सान उनपर ग़ालिब आने का संघर्ष करे। सख़्तियाँ इस लिये आयद की जाती हैं कि आदमी की कमजोरियाँ दूर हो और उस की निहित शक्तियाँ कर्म के क्षेत्र में ऊजागर हों। जो लोग इस ईश्वरीय ट्रेनिंग सेन्टर से निकलते हैं वही दुनिया में कुछ कर के दिखातें हैं। और आज तक दुनिया में जितने बड़े काम हुए हैं वह इसी ट्रेनिंग की राह से गुजरने वालों ने किये हैं। और अगर यह न हो तो हमदर्दी, प्रेम व सेवा, एक दूसरे की मदद व सहारा के क्या अर्थ होंगे। यह मात्र एक शैतानी वसवसः (भ्रम) हैं जिस को शैतान ने नास्तिक, विधर्मी और खुदा बेजार के दिलों में डाल रखा है, और शैतान इस तरह के भ्रमात्मक विचार और आँशकायें पैदा कर के भेड़ बकरी की तरह जिधर चाहता है हाँकता हैं। अफसोस इसका होता है कि जो मिल्लत (समुदाय) इन खतरों से इन्सानियत को बचाने वाली और आगाह करने वाली है, खुद इस के लोग इन शैतानी चालों का शिकार हो जातें हैं।

□□

हमारा दीन इस्लाम, हमारा वतन हिन्दुस्तान

"मुल्क (हिन्दुस्तान) के वासी की हैसियत से हमें यहाँ आज़ादी व इज़्ज़त के साथ रहने का पूरा हक़ हासिल है, यह इस मुल्क के लोकतंत्र और संविधान का भी फैसला है। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं कि हम अपनी विशेषताओं, शरीअत के कानून, दीन के अहकाम, अपनी आस्था और पहचान अपनी जबान व तहजीब और अपनी उन चीज़ों को, जो हमें प्रिय हैं, छोड़कर इस मुल्क में रहें। इस तरह रहने से यह वतन नहीं बल्कि एक जेलखाना और पिंजड़ा बन जाता है, जिस में गोया पूरी कौम को जिन्दगी की इज्ज़तों और लज्ज़तों से वंचित रखकर सजा दी जाती है। हमारा खमीर जरूर इस मुल्क से तैयार हुआ है और यह खाक हम को अति प्रिय है, लेकिन हमारी तहजीब इब्राहीमी है। और मुसलमान जिस मुल्क में रहेगा, उस की राष्ट्रीयता चाहे कुछ हो, उस की तहजीब इब्राहीमी होगी। हम यहाँ जिन्दा और ससम्मान इन्सानों की तरह रहना चाहते हैं। हम इस मुल्क में आज़ाद हैं। इस के विकास और संविधान–रचना में शरीक हैं, इस लिये इस का कोई सवाल नहीं कि हम दूसरे दर्जे के शहरियों की तरह जिन्दगी बसर करें। अपने मुल्क में आज़ादी के साथ जिन्दगी गुजारना प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक, मानवीय, नैतिक और संवैधानिक अधिकार है और इस हक को जब भी छीनने की कोशिश की गई तो इस के हमेशा संगीन परिणाम निकले।"

अली मियाँ

□□

नबाती (वनस्पति) गिजाएं

- फौज़िया सिद्दीकी

अनाज और दालें

गेहूँ, चना, जौ, मकई, बाजरा, जुवार जेसे अनाजों को पीस कर आटा बनाया जाता और उस से रोटी पकाई जाती और दालों या साग तरकारियों के साथ खाई जाती है।

गेहूँ तमाम अनाजो में बेहतर है उसमें बदन की परवरिश करने वाले अजजा सब से जियाद पाये जाते है, यह खूश मजा भी होता है और उस में किसी तरह की खराब कैफीयत नहीं पाई जाती अगरचि जौ में भी काफी गिजाइयत है, लेकिन यह गेहुँ से घटिया मजा रखता है, चना भी काफी गिजाइयत रखता है और खुश मजा भी होता है, देहात में इसका इस्तेमाल कसरत से होता है, जब यह उगने के बाद कुछ बढ़ जाता है तो उसकी कोंपलो को तोड़ कर उसका साग पका कर खाते हैं, जो हाजिम और मजेदार होने के साथ कब्ज कुशा भी होता है, जब उसमें फल आ जाता है और उस में दाने पड़ जाते हैं तो उन को आग पर भून कर होले बना कर खाते हैं और जब बिलकुल पक कर खुश्क हो जाता है तो इस के आँटे की रोटी पकाते और दाल तय्यार कर के इस्तेमाल करते हैं दाल को पीस कर बेसन बनाते हैं और उस से मुखतलिफ किस्म की लजीज गिजायें तय्यार करते हैं, गरज कि चना देहात वालों के लिए बहुत मुफीद गल्ला है, लेकिन उसमें खराबी यह है कि उसमें कुछ बादी पन होता है। और वह रियाह पैदा करता है लेकिन जो देहाती मेहनत व मशक्कत के काम करते हैं वह गेहूँ के साथ चने मिला कर उस की रोटी खाते और उस से फायदा हासिल करते हैं, इधर दसियों साल से चने की पैदावार कम हो गई है और अब यह गेहूँ से दोगुना महंगा मिलता है।

मकई, जुवार और बाजरा

ये अच्छे गल्ले है, लेकिन उन की रोटी गेहूँ के मनिन्द खुश मजा होती है और न वैसी मुफीद, लेकिन गरीब लोगों के लिए मुनासिब है, बाजरे को गरम समझा जाता है इसके आटे की रोटी पकाई जाती है। मकई हो या जुवार और बाजरा जब उन के साथ मक्खन, घी और छाछ होता है तो यह देहातियों के लिए बेहतरीन मुकव्वी गिजा बन जाती है।

चावल

हिन्दुस्तान में गेहूँ के बाद चावल का इस्तेमाल ज्यादा है बाज इलाकों में तो चावल ही खाया जाता है, लेकिन मुल्क के शिमाली इलाकों में चावल का इस्तेमाल बहुत कम है, उमूमन तेहवारों या बियाह शादियों ही में पकाया जाता है इस में गेहूँ के मुकाबले में गिजाइयत कम होती है, इस लिये इसको दूसरी मुकव्वी चीज़ों, जैसे दूध, शकर, घी, दही वगैरा मिला कर खाना चाहिये और यह याद रखना चाहिए कि नए चावलों से पुराने चावल अच्छे होते हैं अगरचि बाज मुकामात पर चावलों को पीस कर उनकी रोटी पका कर खातें हैं, नीज़ खीर, फीरीनी और खिचड़ी पका कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उस को खाली पकाते है तो उमूमन उसको उबाल कर पीच को निकाल कर फेंक देते हैं, इस तरह चावलों के बहुत से मुफीद गिजाई अजजा पीच के साथ ज़ाए हो जाते हैं, इस लिए चावलों को दम कर के पकाना ही मुनासिब है।

दालें

देहातों में चने, मटर, उरद, मूंग लोबया अरहर मसूर की दाल कसरत से खाई जाती है। तकरीबन सभी दालों में बदन को गिजाइयत देने वाले अजजा काफी मिकदार मे होते हैं, इस लिए जो लोग गोश्त नहीं खाते, उन में गोश्त का बदल दालें बन जाती है, खुसूसन उरद, चने और मटर की दालें इस बारे में ज्यादा बेहतर हैं, और उरद की

दाल तो जिस्म की परवरिश करने और ताकत देने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन दालों में बादी पन है देर में हज्म होती और रियाह पैदा करती है, अलबत्ता मूंग की दल बादी नहीं है और यह जल्द हज्म भी हो जाती है इस लिये यह बीमारों और कमजोरों के लिये बहुत मुनासिब है।

सब्ज़ तरकारियाँ और साग पात

घिया (लौकी), टिन्डा, तुरई, भिन्डी, मीठा कद्दू, सीता फल, गोभी, बन्दगोभी, गाँठ गोभी, शल्जम, चुकन्दर, गाजर, मूली, परवल, बैगन, ककड़ी, टमाटर, पियाज, आलू जैसी सब्ज तरकारियाँ और पालक खुरफा, सरसों, बथुवा, चौराई जैसे साग ज्यादा तर देहातों में पैदा होते और खाये जाते हैं, उनमें खास गिजाई जौहर और नमकियात होते है, जो कुव्वते हाज्मा को बढ़ाते और कब्ज को दूर करते रहते हैं और खून को साफ कर के हालते एतिदाल पर कायम रखते हैं, तरकारियों में से गाजर, टमाटर और पियाज तो खुसूसियत से मुफीद हैं इसी लिये देहात के गरीब जफा कश लोग सुबह के नाशते में नमक डाली रोटी, पियाज और छाछ अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सब सब्ज तरकारियों और साग पात को पहले पानी से अच्छी तरह धो लिया जाए, उस के बाद बारीक तराश कर पकाया जाए पानी सिर्फ इतना डाला जाए जो उनके गलने के लिए काफी हो इस तरह पकाने से वह मजेदार भी होंगी और मुफीद भी बाज सब्जी तरकारियों को उबाल कर उन का पानी निचोड़ कर फेंक दिया जाता है, यह तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह उनके मुफीद अजजा और कुव्वत देने वाले नमक जाए हो जाते हैं,

बाज लोग शलजम, मूली और चुकन्दर जैसी तरकारियों के पत्ते फेंक देते हैं, ऐसा करने से बहुत मुफीद अजजा जो उन पत्तों में होते हैं, बेकार जाते हैं, इस लिए इन तरकारियों को पत्तों समेत पकाना मुनासिब है

गाजर, पियाज और टमाटरों को मामूली तरकारी न समझा जाए उन के खाने से हमारे जिस्म को तकरीबन वह तमाम जरूरी अजजा हासिल होते हैं, जिनंका हमारा जिस्म मुहताज है, चुनानचि इनमें शकर और चूने (कैल्शियम) की काफी मिकदार के अलावा वह गिजाई जौहर भी हाते हैं जिनको हयातीन (विटामिन्स) कहते हैं।

गुड़ शकर

गुड शकर देहात के मेहनती और जफाकश लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मेहनत व मशक्कत करने से उनके बदन की जिस कदर कुव्वत और हरारत कम होती है, गुड, शकर का इस्तेमाल इस कमी को पूरा करता रहता है, खुसूसन जब कि उसके साथ घी भी मिल जाए, लेकिन चूंकि हर शख्स को हमेशा घी नहीं मिल सकता इस लिए वह गुड के साथ दूध और छाछ को पी कर काफी फाइदा हासिल कर सकते हैं। अगरचे देहाती हर मौसम में गुड खाने के आदी होते है, लेकिन गरमी और बरसात में इस का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, गुड शकर खाने से बदन में ताकत और हरारत ही पैदा नहीं होती बल्कि कब्ज भी रफा होता रहता है।

अचार, चटनियाँ और सिर्का वगैरा

बारिश के ज़माने में जब कि रूतूबत की ज्यादती है हज्म खराब होता है, या हैजा और मलेरिया जैसी वबाई बीमारियाँ फैली होती है, अचार, चटनियों और सिरका के इस्तेमाल से बहुत फाइदा पहुँचता है बाज गरिब देहाती लोग सिर्फ रोटी आम के अचार, चटनी या सिर्का के साथ खा कर ख़ुदा का शुक्र करते हैं, बाज लोग आदतन हर मौसम में उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका कसरते इस्तेमाल हरगिज मुनासिब नहीं है, इन तुरशियों के कसरते इस्तेमाल से सबसे बड़ा नुकसान यह पहुँचता है कि मेदों की कुदरती हाजिमे रूतूबत कम बनने लगती है जिस से आहिसता– आहिसता हाज़मा कमजोर होता जाता है, यहाँ तक कि वह उन चीज़ों के खाए बगैर गिजा को हज्म ही नहीं कर सकता, गरज ये कि तुरशियाँ ज्यादा नहीं खाना चाहिये और तुरशियों के साथ कुछ मीठी चीज़ें गुड भी इस्तेमाल करनी चाहिये, इस से उनकी मजर्ररत कम हो जाती है।

किस्त एक

इस्लाम तलवार से फैला या सद्‌व्यवहार से?

- अल्लामा सै० सुलेमान नदवी रह०

संकलन- नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

उर्दू में तब्लीग़ का शाब्दिक अर्थ सन्देश पहुँचाने के हैं और पारिभाषिक अर्थ यह है कि जिस चीज़ को हम अच्छा समझते हैं उसकी अच्छाई और सुन्दरता को दूसरे लोगों, दूसरे समुदाय, सम्प्रदाय और अन्य देशों तक पहुँचाएं तथा उनको उसे स्वीकार करने का निमंत्रण दें। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभ्यूदयकाल (बिअसत के वक्त) विश्व में दो प्रकार के धर्म थे, (1) वह जिसमें धार्मिक प्रचार–प्रसार के तत्व थे अर्थात इसाईमत और बुद्धमत (2) वह धर्म जो धार्मिक प्रचार–प्रसार में विश्वास नहीं रखते थे (अर्थात हिन्दूमत और यहूदीमत आदि) जो विश्वास रखते थे उनके सम्बन्ध में ये कहना संदिग्ध है कि प्रचार–प्रसार की धारणा उनके मूल धर्म का आदेश था या बाद के अनुयायियों का कर्म? क्योंकि उनके धार्मिक ग्रन्थों में और उनके संस्थापकों के जीवन में इसका क्रियात्मक (अमली) उदाहरण नहीं मिलता। समस्त धर्मों में केवल इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसने प्रचार–प्रसार के महत्व को समझा और उसके सम्बन्धित अपने पवित्र ग्रंथ में स्पष्ट आदेश दिया तथा उसके वाहक और प्रचारक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा क्रियात्मक उदाहरण पेश किया।

जिन धर्मों ने प्रचार–प्रसार को अपना सिद्धान्त नहीं बनाया उसके दो कारण हैं। एक ये कि उनके निकट इस सत्य को स्वीकारने का अधिकार जन्म से होता है प्रयत्न से नहीं। दूसरा कारण ये है कि जो सत्य उनके पास है वह उनके विशेष समुदाय के निकट इतना पवित्र है कि उनके कथनुसार जो दूसरे समस्त समुदाय अपवित्र है उन तक अपने पवित्र धर्म को ले जाना स्वयं अपने धर्म को अपवित्र करना है। हिन्दुओं ने अपने धर्म को समस्त समुदाय से जो छुपाकर रखा उसका भी यही कारण था कि वह अपने पवित्र धर्म की शिक्षा मलिच्छों और अछूतों को देकर अपने धर्म को दूषित नहीं करना चाहते थे। यहूदियों की भी यही धारणा थी और है कि अन्य समुदाय इस कृपा के अधिकारी नहीं हैं।

सन्देष्टाओं और धार्मिक संस्थाओं के क्रियात्मक आदेशों और उदाहरणों की खोजबीन कीजिए तो ये वास्तविक्ता और भी खुल कर सामने आ जाएगी कि इस्लाम के अतिरिक्त अन्य जो धर्म प्रचारक धर्म समझे जाते हैं वह वास्तव में प्रचारक (तब्लीग़ी) नहीं हैं। स्वयं बुद्ध ने हिन्दुओं के अतिरिक्त किसी को मोक्ष, प्राप्ति का रास्ता नहीं बताया और न उसका आदेश दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसराइली समुदाय के अतिरिक्त किसी दूसरे सम्प्रदाय तथा समुदाय को न अपना प्रवचन सुनाया न सम्बोधित किया न उनमें से किसी को अपना शिष्य बनाया और न ही दूसरे कौम–कबीले में अपना प्रचारक भेजा यद्यपि फिलिस्तीन में रूमियों और यूनानियों की एक बड़ी संख्या मौजूद थी।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में स्थानीय लोगों को इस्लाम के प्रति श्रद्धा हेतु जागरूक किया। हज के मौसम में अरब के प्रत्येक कबीले के पास जाकर सत्य का सन्देश पहुँचाया और उसी अवधि में यमन तथा इथोपिया तक इस्लाम की आवाज़ पहुँच गई तो अब स्वयं लोग सत्य की खोज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो यद्यपि कबीला कुरैश वर्षों दूसरे कबीले तक इस्लाम के पहुँचने में रोड़ा बना रहा, फिर भी प्रचारकों और आवाहकों को भेज–भेज कर कबीलों तक आवाज़ पहुँचाई गई अतः कुरैश के विरुद्ध इसलिए तलवार उठाई गई कि इस्लाम को प्रचार–प्रसार की शान्तिमय स्वतंत्रता मिले। छः वर्ष के युद्ध के उपरान्त हुदैबियः में कुरैश ने इस्लाम की

माँग को स्वीकार कर लिया और आज़ादी दे दी। उसके पश्चात ही अरब और दूसरे देशों में इस्लाम के प्रचारक तथा सन्देशवाहक भेजे गये व विश्व के राजा–महाराजाओं के समक्ष इस्लाम का निमंत्रण दिया गया। अरबों के अतिरिक्त वैलम, ईरान, इथोपिया और रोम के लोग भी इस्लाम लाए। अरब के मुर्तिपुजक, यहूदी, इसाई और पारसी आदि, धर्म को मानने वालों ने उसी समय आपके आलोक से प्रकाश प्राप्त किया।

धार्मिक प्रचार–प्रसार के सिद्धान्त

विश्व को पहली बार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया कि किस प्रकार लोगों के सत्य स्वीकारने का निमंत्रण देना चाहिये। वह धर्म जो प्रचारक (तब्लीग़ी) होने का दावा करते हैं ये नहीं कह सकते कि धार्मिक ग्रन्थों में उनके लिये प्रचार–प्रसार के सिद्धान्त बताए गए हैं परन्तु सहीफे मुहम्मदी ने अत्यन्त संक्षिप्तीकरण किन्तु पूरी व्याख्या के साथ अपने अनुयायियों को ये बताया है कि ईश्वरीय सन्देश को किस प्रकार लोगो तक पहुंचाया जाए। पवित्र कुर्आन मे है "अपने रब (ईश्वर) के मार्ग की ओर लोगों को ज्ञान (बुद्धिमता) और उत्तम उपदेश के माध्यम से बुला तथा उन से तर्क–वितर्क अच्छे ढंग से कर"।

(सूरः नहल : 16)

धार्मिक प्रचार–प्रसार के तीन सिद्धान्त मुसलमानों को सिखाये गए हैं। (1) बुद्धि–ज्ञान (2) सुन्दर वाणी (3) सुन्दर तर्क–वितर्क। जब हम किसी के समक्ष कोई बात रखकर उसे स्वीकारने का निमंत्रण देते हैं तो प्रायः तीन विधियाँ प्रयोग करते हैं या तो इस बात के प्रमाण व समर्थन में कुछ हृदयस्पशी तर्क प्रस्तुत करते हैं अथवा उसको उत्तम उपदेश देते हैं और प्रभावकारी शैली से उसको अच्छे–बुरे ऊँच–नीच से अवगत कराते हैं या फिर उसके तर्कों को उचित ढंग से रद्द करके उसके दोषों को उसपर व्यक्त करते हैं।

मृद भाषा

इस्लामी प्रचारकों को शिक्षा दी गई है कि जब किसी के समक्ष इस्लाम को प्रस्तुत करें तो आवश्यक है कि वह नम्रता और सुभेच्छा से बातें करें क्योंकि कठोरता तथा उग्रता दूसरे के हृदय में घृणा और शत्रुता की भावना को जन्म देती है। इसीलिए पवित्र कुर्आन ने अपने सन्देष्टाओं को अपने कट्टर शत्रुओं से भी नम्रता से बाते करने का आदेश दिया है। हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फिरऔन जैसे दृष्ट के सामने ईश्वरीय सन्देश लेकर जाने का आदेश होता है तो साथ–साथ ये भी उपदेश दिया जाता है कि "तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ, उसने नाफरमानी की है, तो उससे नम्रता से बात करना शायद वह नसीहत कुबूल करे अथवा (खुदा) से ड़रे" (सूरः ताहा : 2)

धार्मिक प्रचार–प्रसार में नम्रता और संयमता का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता क्योंकि न कोई आवाहक और उपदेशक सन्देष्टाओं से अच्छा हो सकता है तथा न कोई फिरऔन से बढ़कर अपराधी हो सकता है। फिर ऐसे अपराधी के सामने इस नम्रता तथा कोमलता से उपदेश की शिक्षा जब सन्देष्टाओं को है तो साधारण उपदेशकों और प्रचारकों को आम मुजरिमों, विरोधियों और दृष्टों के साथ तो अवश्य ही कोमलता धारण करने का कर्तव्य निभाना चाहिये। पवित्र कुर्आन में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुर्तिपुजकों के बारे में कहा जा रहा है कि "तू उन्हें क्षमा कर और उनको उपदेश दे तथा उनसे ऐसी बात कह जो उनके हृदय को प्रभावित करे" (सूरः निसा : 9)

इन्हीं ईश्वरीय उपदेशों के पालन में जब हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज बिन जबल (रज़ि0) और अबूमूसा अशअरी (रज़ि0) को यमन में इस्लाम के प्रचार–प्रसार हेतु भेजा तो विदाई के समय ये उपदेश दिया "ईश्वरीय धर्म को आसान करके प्रस्तुत करना, कठोर बना कर नहीं, लोगों को शुभसमाचार देना, नफरत न दिलाना।" ये वह सिद्धान्त हैं जो एक उपदेशक और प्रचारक की सफलता हेतु कुन्जी है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबः (रज़ि0) के समक्ष और सहाबः (रज़ि0) ने आम मुसलमानों के सामने उसी के अनूरूप ईश्वरीय धर्म को प्रस्तुत किया और सफलता पाई।

जारी........

सैलानी की डायरी

- एम० हसन अंसारी

6 मार्च 2010

समर स्पेशल ट्रेन से सुल्तानपुर–दिल्ली का सफर है। पास की छः सीटों पर दो परिवार। दो पर सैलानी और जीवन साथी। भोर होते–होते दिल्ली। दिन शनिवार। सामने बैठे परिवार के साथ एक पाँच साल का बालक। बालक उठा तो दोनों परिवार की तरह–तरह की बातों का केन्द्र। कोई उस से सवाल कर रहा है, कोई अपने क्रिया कलाप से उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, एक महिला बाकायदा उसे पढ़ाने लग गयीं। एक अनार सौ बीमार। बचपन कुदरत की साफ शफ्फाफ़ तस्वीर पेश करता है। बच्चा मासूम होता है जिज्ञासू होता है, चंचल होता है, सच्चा होता है, क्लीन स्लेट। गाडी चलती रही। चलती का नाम गाड़ी।

बालक का ध्यान अचानक पवित्र क़ुर्आन, जिसे सैलानी ने भोर के समय पढ़कर जुज़दान में (बस्ते में) रख दिया था, की ओर जाता है। पिता जी वह क्या है? बालक ने पूछा! बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती रही, बड़े सोचते रहे पवित्र क़ुर्आन को अपवित्र कैसे छू सकता है, इस की तो मनाही है। विवेकी (रेशनल) लोग, बच्चे की जिद पूरी करने में असमर्थ। समझदार बाप ने जेब से एक टॉफी निकाली, बच्चे को दिया। उसका ध्यान बंट गया। समस्या सुलझ गयी। बात आई गयी हो गयी। सैलानी सोचता रहा, अगर वह टॉफी सैलानी की जेब में होती और वह उसे बच्चे को पेश करता तो कुछ और बात होती।

सफर सहिष्णुता सिखाता है। विवेक को जगाता है। अनुभव प्रदान करता है। सीख देता है। समाज में रह कर सुखमय जीवन व्यतीत करने के कितने अनपढ़े पाठ पढ़ाता है। हरकत में बरकत है।

सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतेरे
हजारहा शजरे सायादार राह में है

7 मार्च 2010

आधी शताब्दी अर्थात् कोई पचास साल बाद सैलानी परिवार के साथ मुगल गार्डेन दिल्ली देखने गया जो अवाम के लिये हर साल फरवरी माह में खोला जाता है और मार्च के पहले पखवाड़े तक यह व्यवस्था प्रायः जारी रहती है।

राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1929 ई0 में यह बन कर तैयार हुआ था। अंग्रेजों के ज़माने में जब मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, यहाँ ब्रिटिश सरकार की तरफ़ से नियुक्त वायसराय रहा करता था और तब इसे वायसराय हाउस कहा जाता था, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा अपना बनाया हुआ संविधान लागू हुआ और तब से यहाँ भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रहने लगे और इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। राष्ट्रपति भवन के साथ ही पीछे की तरफ़ मुगल गार्डन का निर्माण हुआ बाद में इसे विस्तार दिया गया जिसे आसानी से समझा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन का नक़्शा एक अंग्रेज़ ने बनाया था। मध्यकालीन वास्तु–कला का एक बेजोड़ नमूना जिस में भव्यता है, विशालता है, ऊँचाई है, शान है। आर्कीटेक्ट (वास्तु–निर्माता अथवा शिल्पी) एक विदेशी, जेहन और परिकल्पना मुग़लकालीन भारत। अनुपात, समानुपात ,न्यामिति त्रिकोणमिति की बोलती तस्वीर, राष्ट्रपति भवन।

सैलानी को राष्ट्रपति भवन देखने का अब तक दो बार मौका मिला है। पहली बार 18 दिसम्बर 1960 को जब सैलानी की उम्र कोई 21 साल की रही होगी और वह सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीटयूट इलाहाबाद में, जो उन दिनों देश की इकलौती संस्था थी, जहाँ ग्रेजुएट लेबिल के छात्राध्यापक पेडागाजी (शिक्षण शास्त्र) में ट्रेनिंग हासिल करते थे जिस के बाद उन्हें एल0टी0 अर्थात् लाइसेशिएट इन टीचिंग का डिप्लोमा प्रदान किया जाता था,

प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। शैक्षिक–भ्रमण (इक्स्कर्सन) के दौरान दिल्ली गये और अन्य दर्शनीय स्थलों के साथ राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन भी देखा, अशोक हाल के अन्दर गये, हमारे सहपाठी जी0पी0 मिश्र तो लपक कर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ लिये। उसी दिन पार्लियामेन्ट की कार्यवाही आगन्तुक दीर्घा (विजिटर्स गैलरी) से देखा, पंडित जवाहर लाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री का भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो अब बंगला देश है, के बीच बेरूबारी विवाद पर समापन और फैसला कुन भाषण सुना। उसी दिन गोवा–दमन–दिव भारत गण राज्य का अभिन्न अंग बना। ऐतिहासिक दिन था। देश के लिये और हमारे लिये। दोबारा पचास साल बाद, 7 मार्च 2010 को जब सैलानी उम्र की इकहत्तर बहारे देख चुका है। इस आधी सदी के अन्तराल में काफी बदलाव आ चुका है। तब और अब में महान परिवर्तन। प्रकृति नहीं बल्कि प्रवृत्ति परिवर्तनशील है ना। बड़ा बदलाव। तब सैलानी अपनी अवस्था के 'टवेंटीज' के प्रारम्भिक चरण में और आज़ादी अपने 'टीन्स' के शुरूआती साल में अब लोकतंत्र साठ की दहाई में प्रवेश कर चुका है, और सैलानी सत्तर की दहाई में दाखिल। तब राष्ट्रपति भवन में हम लोग सामने से अन्दर गये थे, अब कोई आधा कि0मी0 पहले मुड़कर गेट न0 35 के बगल से मुगल गार्डन पहुँचे। तब इतनी जाँच पड़ताल न थी, अब जगह–जगह जाँच होती है। व्यवस्था अच्छी है, आगन्तुकों की सुख सुविधा का पूरा ख़्याल रखा गया है, जगह–जगह बैठ कर दम लेने की ओर पेय जल की सुव्यवस्था है, स्टाफ माली से लेकर अधिकारी तक शिष्ट आचरण वाले, मीठे बोल वाले, आप की सहायता को तत्पर, कोई तू–तू, मैं–मैं नहीं, आगन्तुकों की भूल चूक को सुधारने वाले नर्मी के साथ, कोई अपशब्द नहीं, कोई डाँट–फटकार नहीं सभ्य–आचरण, शराफत का संचार, आत्मीयता का माहौल। अच्छा लगा। हमारी पुरानी परम्पराएं यहाँ बाकी हैं।

मुगल गार्डन में बाहर की तरफ़ से प्रवेश करने पर पहले जड़ी बूटियों की क्यारियाँ देखने को मिलीं, बड़े सुन्दर ढंग से रख रखाव वाली, हर प्रकार की जड़ी बूटी देखी। अत्तार और पंसारी के यहाँ जा कर इन्हें खरीदने का मौका तो बिरलों को मिला होगा, किन्तु इन जड़ी–बूटियों के जौहरी तो हकीम और वैद्य ही हो सकते हैं। अधिकाँश विजिटर्स को यहाँ से यूँ ही गुजरते देखा। यहाँ से आगे चलिये तो वटवृक्षों की कतार मिलेगी जो कदाचित 1980 की दहाई में लगाये गये होंगे। इस से आगे फौवारा और म्यूजिक का अधिष्ठान हैं, दोनों का तालमेल दिल को मोहने वाला है, फौवारा के साथ म्यूजिक और हम हिन्दुस्तानी की धुन अत्यन्त मनमोहक 'बड़े प्यार से लिखेंगे हम अपनी अमर कहानी, हम हिन्दुस्तानी!!!' अब शुरू होता है असल मुगल गार्डन का वह घिरा हुआ परिसर जो राष्ट्रपति भवन के साथ बना था। रंग बिरंगे फूल, लान, खूबसूरत डिजाइनों में खड़े पौधे जिन की काट–छाँट कर के ऐसा स्वरूप दिया गया है मानो साँचे में ढले हों। आगे है गुलाब बाड़ी– हर रंग के गूलाब, बड़े गुलाब, खिले गुलाब, अधखिले गुलाब गुलाबों में गुलाब, गुलाब की महक से भरा माहौल आगे बढ़िये तो फूलों की घाटी है, प्याला नुमा घाटी। सीढ़ी नुमा क्यारियाँ, हर क्यारी में अलग–अलग रंग के मनमोहक फूल, घाटी की परिधि पर बने रास्ते पर चलते रहिये, आनन्द विभोर होते रहिये और खुशियों से दामन भरते रहिये, पर रूकिये नहीं चलते रहिये। नियम कानून के बन्धन में बन्धा प्रकृति का यह सौन्दर्य हिमालय की गोद में स्वच्छन्द फूलों की घाटी से भिन्न है। वहाँ आज़ादी है यहाँ आज़ादी में बन्धन। क्यारियों के अन्दर न जायें इस के लिये अवरोध बने हैं, स्ट्रिप्स लगी हैं जिन पर लिखा है, 'यह राष्ट्रपति भवन की सम्पत्ति है। इस की ज़रूरत क्यों पड़ी? यह महान राष्ट्र की सोच को परिलक्षित करता है। हम मुगल गार्डन देखने आये, पर 'मुगल गार्डन' लिखा हुआ तो कहीं दिखा नहीं। यह दोनों शब्द विदेशी हैं इस लिये हो सकता है इन से बचने का प्रयास किया गया हो, खैर यह तो व्यवस्था की बात है, पर मीडिया तो इसे मुगल गार्डन ही कहता है

शेष पृष्ठ 34

टीपू सुल्तान का हिन्दुओं के प्रति सद्व्यवहार

इतिहास के झरोखे से

– तसनीम फ़ात्मा

20 नवम्बर 1752 को पैदा होने वाला अबुल फतेह अली, टीपू सुल्तान, एक बहादुर सिपाही ही नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी, दूरअन्देश और इन्साफ पसन्द शासक था। बादशाह होने के बावजूद जब से होश संभाला, न किसी को झुक कर सलाम किया अैर न किसी से झुक कर सलाम लिया। "सृष्टि का पालनहार एक ही है, वहीं सबसे बुलन्द व बरतर है और तमाम इन्सान समान (मसावी) हैं, इन में ऊँच–नीच का भेद–भाव नहीं" इरा बात पर उसका अकीदा था। इस लिये हुकूमत की बागडोर संभालते ही अपने दरबार में झुक कर सलाम करने के रिवाज (प्रथा) को बन्द करा दिया।

टीपू सुल्तान की हुकूमत में सभी धर्मो के मानने वालों को मजहबी आज़ादी थी। अंग्रेज इतिहासकार जे0के0 मुरे ने "मेमोरीज आफ दी लेट वार मे सन् 1783 ई0 में मैसूर में क़ैद अंग्रेज क़ैदियों के हालात दर्ज किये हैं, उन में से एक क़ैदी जेम्स कहता है कि नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान हिन्दुओं के मजहबी त्योहारों में स्वयं शरीक हुआ करते और हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों के लिये उदारतापूर्वक मदद देते।

टीपू सुल्तान ने मैसूर में दी गई तमाम जागीरों को ज़ब्त कर के हुकूमत में उनका विक्तय कर दिया, किन्तु हिन्दुओं के मन्दिरों, इबादतगाहों और अनुदान को हाथ तक न लगाया। टीपू सुल्तान ने एक शाही फरमान (शासनादेश) जारी कर हिन्दुओं को अपने पुर्वजों का हिन्दू धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाने के लिये मना किया।

प्राचीन भारत मे देवी देवताओं के सामने इन्सानी बली चढ़ाने की रस्म चली आ रही थी। टीपू सुल्तान ने अपने शासन काल में इस बुरी रस्म को सख्ती से बन्द करवा दिया।

1786 में पेशवा और निजाम ने मिलकर मैसूर पर चढ़ाई की। उस समय पूना के पेशवा और सरदारों की औरतें भी उन के साथ थीं। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान ने दुश्मनों को मुंह तोड जवाब दिया। दुश्मनों के छक्के छूट गये और फौज़ के उच्च अधिकारी मैदान छोड़ कर भाग गये, यहाँ तक कि औरतों की ख़ैर–ख़बर भी न ली। भारी मात्रा में माले–ग़नीमत और शाही खानदान की औरतें टीपू सुल्तान के हाथ लगीं। टीपू सुल्तान ने इन औरतों की हिफाजत की और अपने खेमे से करीब उन्हें आज़ादाना माहौल प्रदान किया। और उन्हें बहुमूल्य भेंट और शाही कपड़े प्रदान कर पाल्की में बिठा कर सशस्त्र टुकड़ी की देख रेख में पूना के पेशवा के दरबार में वापस भेजवा दिया। पेशवाओं के फूट डालने की वजह से मराठा हुकूमत के दो टुकड़े हो गये थे और इसी से पूना के पेशवाओं का जन्म हुआ। 1791 में मैसूर की तीसरी लड़ाई के दौरान फिर से पेशवा और निजाम ने अंग्रेजों के साथ मिलकर चढ़ाई की। पेशवाई फौज के सेनापति के नेतृत्व में फौज ने श्रड़गेरी मठ में घुस कर लूट–मार की। उस समय टीपू सुल्तान ने उस मठ के नुकसान की भरपाई करते हुए मठ के व्यवस्थापकों के पत्र लिखा कि "हम मुजरिमों को जरूर सजा देंगे।" इस के बाद ऐसी घटना दोबारा न घटित हो, इस कारण मन्दिर की हिफ़ाज़त की समुचित व्यवस्था की ओर एक फ़ौजी दस्ता वहाँ तैनात किया।

विख्यात इतिहासकार डाक्टर विश्वम्भर नाथ पाण्डे अपनी किताब "इस्लाम एण्ड इन्डियन कलचर" में लिखते हैं कि जब वह इलाहाबाद के मेयर (महापौर) थे, उस समय इतिहास की एक किताब में उन्हें यह पढ़कर हैरत हुई कि "तीन हजार ब्रह्मणों ने आत्महत्या कर ली क्यों कि टीपू सुल्तान उन्हें जबरन मुसलमान बनाना चाहता था।" इस पर जब उन्होंने किताब के लेखक से सन्दर्भ जानना चाहा तो किताब के लेखक ने जवाब दिया कि "इसे मैसूर गजेटियर से लिया गया है," और जब डाक्टर पाण्डे ने लिखकर मैसूर गजेटियर के सम्पादक।

शेष पृष्ठ 38

किस्त दो

ख़्वातीने इस्लाम

(इस्लाम में महिलाओं का स्थान)

– हबीबुल्लाह आज़मी

– मौ० अब्दुर्रहमान नग्रामी नदवी

जो लोग औरतों की आज़ादी के समर्थक हैं और इस के सही अर्थ को जानते हैं वह ग़ौर करें कि इस से अधिक और क्या महिलाओं की आज़ादी की सीमा का विस्तार हो सकता है? बेशक अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाओं और अपने– अपने कर्तव्यों से विमुख (दूर होने) की दशा में कौन सा लज्जावान और सही दिमाग़ रखने वाला इंसान है जो इस्लाम की इस तालीम के सामने सिर न झुका देगा। अलबत्ता यूरोप की पैरवी करने वाले इस के लिए तैयार होंगे कि औरतों को इस सीमा तक आज़ादी दी जाये कि वह दुराचार में लिप्त रहें और शौहरों को उनसे पूछने का अधिकार प्राप्त न हो? लेकिन ऐसा करना इंसानी लज्जा व शर्म का खून करना है। बाज़ अवसर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दुन्या की सबसे अधिक मुल्यवान पूंजी, सबसे अधिक प्रिय संपत्ति बताया है। इब्ने माजा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत है (अनुवाद – दुन्या एक संपत्ति का दुकान है जिन में से सबसे अच्छी पूंजी औरत है) इस श्रेष्टता (फजीलत) का राज वही है जो हम ऊपर जाहिर कर चुके हैं कि औरत इंसानियत के मुकम्मल करने के सिलसिले की एक कड़ी है। बुख़ारी शरीफ़ की एक हदीस में अबू हुरैरा से उल्लेखित (मरवी) है कि (अनुवाद : औरत पसली की तरह है) इस कथन की थोड़ी तस्वीर चिकित्सीय व्याख्या के बाद समझ में आ सकती है। इंसानी शरीर के विभिन्न भाग है। इन भागों को जोड़ कर एक ढाँचा बनता है जिसको औरत की पसली से मिसाल दी गई है। अब देखो! चिकित्सा विशेषज्ञ इंसानी शरीर में पसली के फायदे बताते हैं इस से तुम्हें मालूम होगा कि वही स्थिति मानव जाति में औरत को प्राप्त है। मानव शरीर के अंगों के काम के लिहाज से पसली का काम फेफ़ड़ों और दिल की रक्षा करना है। इंसान की प्राकृतिक मशीन इन्हीं दो पुर्ज़ों के द्वारा चलती है। फेफड़े द्वारा साँस ली जाती है। इस पर जिन्दगी की आइन्दा रफ्तार निर्भर है और दिल का काम शरीर की शक्ति को संचालित रखना है लेकिन इन दोनों की सुरक्षा पसली से सम्बन्ध रखती है।

ठीक यही हाल औरत का भी है। प्रथम यह कि इस से आने वाली पीढ़ी चलने की उम्मीद है। शौहर की तमाम ज़रूरतों को पूर्ति और देख भाल उसके जिम्मे है। इन दोनों का काम औरत के बिना उचित ठंग से नहीं हो सकता। प्रकृति की तरफ़ से पसली की जो बनावट है अगर तुम उस में कोई परिवर्तन करना चाहो तो कर सकते हो मगर उस का नतीजा क्या होगा कि उस कल के तमाम पुर्जे एक क्षण में तितर बितर हो जाएंगे। उसी प्रकार प्रकृति का जो नियम है उस में कमी बेशी को हरगिज दखल न देना चाहिये अन्यथा उस का वही परिणाम होगा कि खानदान का खानदान बरबाद हो जाएगा।

संसार में आज बहुत सी कौमे माल व दौलत की खोज में हैरान और मारी–मारी फिर रही है। मुसलमानों को धर्म के आदेशानुसार मुल्की, कौमी, राजनीतिक धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अधिक धन ज़मा करने की नीयत से धन इक्ट्ठा करना अनुचित है।

उनका अस्ल उद्देश्य उसका कलिमा बुलन्द करना और इलाही मअरिफत की व्याख़्या तथा उसका स्पष्टीकरण है इसीलिए माल ज़मा करने की मनाही कर दी गई है। (देश और धार्मिक आवश्यकताओं को छोड़ कर) तो हज़रत सोबान (रजि0) ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुछा फिर हम किस चीज़ को ज़मा करने का प्रयास करें। आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उपदेश फरमाया : (अनुवाद : मन की शान्ति, उपदेश देने वालों की भाषा और मोमिन बीवी को हासिल करने की कोशिश करो)

पहली दो चीज़ों का कोई विवरण नहीं बताया गया। मोमिन बीवी के ज़िक्र के बाद इस सबब (कारण) का भी एलान कर दिया गया है कि वह तुम्हारी सहायक व मददगार होगी। इस रिवायत को विस्तार के साथ इब्ने माजा में बयान किया गया है। तिर्मिज़ी की एक रिवायत में आया है (अनुवाद : तुम में से सब से अच्छा वह शख़्स (व्यक्ति) है जो अपनी औरत से अच्छा व्यवहार (सुलूक) करता है।) और इन सबसे अधिक व्यापी (जामअ) कुर्आन मजीद का यह आदेश है (अनुवाद : औरतों के साथ नेक बरताव करो) क्या इन खुले हुए लेखों के बाद भी इंसाफन इस्लाम पर औरतों के सम्बन्ध में संकीर्णदृष्टि (तंगनज़री) का आरोप लगाया जा सकता है?

इस्लामी कानून और औरत

ऊपर हमने कुर्आन की बाज आयतों और संसार के नायक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेशों से यह बात स्पष्ट कर दी है के मजहबी हैसियत से हमारे यहाँ औरतों को क्या स्थान दिया गया है और उन की देख भाल और उन से अच्छे व्यवहार के लिए किस कदर प्रभावी और जोरदार आदेश दिये गये हैं। अब हम अत्यन्त संक्षिप्त में दिखलाना चाहते हैं कि खुद आँ हज़रत (सल्ल0) ने अमली हैसियत से औरतों के साथ कैसा सलूक किया है कि आप (सल्ल0) के अमल व कर्म हमारे लिए जिन्दगी के लिए आदर्श बताया गया हैं (अनुवाद : तुम्हारे लिए हुजूर (सल्ल0) के आचरण व आदत और जिन्दगी बसर करने का तरीका एक मुकम्मल नमूना है)। औरतों के प्रति जो आदर व सम्मान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में रखते थे, उस का हज़रत अनस (रज़ि0) के इस रिवायत से अनुमान लगाया जा सकता है (अनुवाद : मुझे दुन्या की चीज़ों में औरत और खुशबू (सुगंध) पसन्द है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो व्यवहार अपनी पवित्र बीवियों से था उस के हालात उनकी पवित्र बीवीयों को देखने से मालूम हो सकते है। इस जगह उन का वर्णन करना तवालत (विस्तार) से खाली नहीं लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दयालू व्यवहार केवल उन्हीं तक सीमित नहीं था बल्कि दूसरी औरतें भी इस से लाभावन्तित होती थीं। ईदेन के अवसर पर हुजूर (सल्ल0) अपने सम्बोधन में औरतों का खास लिहाज फरमाते थे। चुनांचि इब्ने अब्बास (रज़ि0) फरमाते हैं एक बार नबी–ए–करीम ने आम सभा में वाज़ (प्रवचन) फ़रमाया, औरतों की पंक्तियाँ दूर थीं। ख़्याल हुआ कि शायद उपदेश व प्रवचन उनको पूरी तरह सुनाई न दिया हो इसलिए खुद वह तशरीफ़ ले गये और सदका (दान) के अदा करने का आदेश दिया। यह अवसर ईदुल फित्र का था। आप के साथ हज़रत बिलाल (रज़ि0) भी तशरीफ़ रखते थे। दामन फैला हुआ था औरतें अति प्रभावित होकर जेवरात उतार–उतार कर दामन में डालती जाती थीं। उस ज़माने में बाज़ मौकों पर औरतों ने इस प्रकार का जोश दिखाया है। यह वास्तव में एक सुन्नत है। जहाँ तक संभव हो गलती नहीं करनी चाहिये। आज देश में एक तालीमी कान्फ्रेंस कायम है औरतों के लिए भी एक खास विभाग है। हमने अपने बहुत से बजुर्गों को, जो इस्लामी शरीअत के जानकार नहीं, कहते हुए सुना है कि इस खराब ज़माने में औरतों के मान–सम्मान को यहाँ तक बढ़ा दिया गया है कि उन की मजलिसों (समारोहों) के लिए खास विभाग कायम किये जाते हैं लेकिन उन्हें यह खबर नहीं कि इस की बुनियाद उस मुबारक युग में पड़ चुकी है कि जिस के पद चिन्हों (नक्शे क़दम) पर चलना हमारा आप का कर्तव्य है।

एक मौके पर रसूल के दरबार में औरतों का एक वफ़द (प्रतिनिधि मण्डल) हाजिर हुआ और उसने शिकायत की कि अनुवाद : समारोह और मजलिस व वअज (प्रवचन) में हम पर मर्द हावी हो गये हैं इस लिए हमारा निवेदन है कि हुजूर हमारे लिये कोई खास दिन निश्चित करें। आप (सल्ल0) ने

शेष पृष्ठ 16

चलो आई० ए० एस० बनें

- एम० हसन अंसारी

आई0ए0एस0 का इम्तेहान इतना मुश्किल नहीं जितना कि हम आप समझते हैं, मुस्तकिल मिजाजी (एकाग्रता) के साथ मेहनत करने पर कामयाबी मिल ही जाती है। आलमियत और यूनानी तिब्ब में डिग्री हासिल करने वाले वसीमुर्रहमान ने आई0ए0एस0 इम्तेहान में कामयाबी के लिये कुछ नुस्खे बताये जो विद्यार्थियों के लिये यहाँ सरसरी तौर पर पेश किये जा रहे हैं।

इस इम्तेहान में केवल तीन पर्चे होते हैं। उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों के लिये आसान यह है कि वह अपने लिये (1) उर्दू अदब (2) हिस्ट्री, इकनोमिक्स या ज्योग्राफी में से कोई एक (3) जनरल स्टडीज (जी0के0)। पहले दो विषय तो आप चहारूम दर्जे से पढ़ रहे होते हैं। चौथी से बारहवीं तक के पाठ्यक्रम (निसाब) में से पचास प्रतिशत प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थात जो कुछ आप पढ़ आये हैं उन्हीं को दोहराना और याद करना है। तीनों पर्चे आप उर्दू जबान में हल कर सकते हैं। जो विद्यार्थी दसवीं बारहवी के इम्तेहान में नकल नवीसी से कामयाबी हासिल करते हैं यह उन के बस का रोग नहीं है।

ग्रेजुएशन के दौरान आपको सख्त मेहनत और ध्यान से पढ़ाई करना है। मान लिजिए आई0ए0एस0 में आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो तमाम नोट्स संभाल कर रखें और बिना नकल के इम्तेहान पास करें। ऐसा करने से आई0ए0एस0 इम्तेहान के समय आप पर बोझ कम होगा। सिर्फ रिवीजन करना होगा।

प्री टेस्ट में पूरे मुल्क से हर साल लगभग डेढ़ लाख उम्मीदवार शरीक होते हैं। इन में से औसतन आठ हजार कामयाब हो पाते हैं। यह टेस्ट आब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होता है। दो पर्चे होते हैं पहला पर्चा 120 अंक का दूसरा पर्चा 150 अंक होता है। हल करने का समय दो–दो घंटा होता है।

मेन इकज़ाम : आम तौर पर प्रीटेस्ट हर साल मई के महीने में हुआ करते हैं, इस में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को आई0ए0एस0 मेन इकजाम में बैठने का हक हासिल होता है। यह इम्तेहान अक्टूबर में होता है, लेकिन इस से पहले आप को अंग्रेजी भाषा का एक पर्चा हल करना होता है जिस के अंक रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते, लेकिन इस में कामयाबी जरूरी होती है। इस इम्तेहान से आप की अंग्रेजी जबान की सलाहियत का पता लगाया जाता है। मेन इम्तेहान में निबन्ध लेखन (मजमून निगारी) के लिये दो सौ अंक का एक पर्चा होता है। शेष तीन पर्चो के लिये 1800 अंक होते हैं, इस में प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं आप चाहे तो प्रश्नों के उत्तर उर्दू जबान में लिख सकते हैं। मेन इम्तेहान् में कामयाबी पर आप को इन्टरव्यू के लिये एक माह बाद बुलाया जाता है। याद रहे कि मेन इम्तेहान जो दो हजार अंकों का होता है उस में टाप पोजीशन वाले उम्मीदवारों को बारह सौ के आस पास अंक मिलते हैं अर्थात आप को दो हजार अंको में 70% का निशाना बान्धना काफी होगा। अन्तिम चरण इन्टरव्यू का होता है जिस के लिये तीन सौ अंक होते हैं इस में टाप करने वाले उम्मीदवार को मुश्किल से 150 अंक मिलते हैं। लेकिन बहुत से आई0ए0एस0 ऐसे भी हैं जिन्हें तीन सौ में से 90,95 अंक मिले। यह अंक लिखित इम्तेहान के कुल प्राप्ताँकों में मिला दिये जाते हैं तब नतीजा तैयार होता है। इन्टरव्यू के दौरान आप अपनी बात और जवाब उर्दू जबान में पेश कर सकते हैं। इन्टरव्यू के दौरान आप की मालूमात व स्टडी का इम्तेहान नहीं लिया जाता बल्कि शख्सियत (व्यक्तित्व) के विभिन्न पहलुओं को जाँचा परखा जाता है जैसे आप की साफगोई, भाव, सोच, बात करने का ढंग आदि का अन्दाजा लगाया जाता है।

जरूरी बात : यह सच है कि उर्दू जबान में आप लिखित परीक्षा दे सकते हैं लेकिन आप को अंग्रेज़ी जबान पर भरपूर महारत हासिल होनी चाहिये। स्टडी मटेरियल उर्दू में कम अंग्रेजी में ज्यादा मिलता है।

शेष पृष्ठ 34

किस्त : 23

भारत का संक्षिप्त इतिहास

मुस्लिम काल

पिछले अंक से आगे..........

— सै0 अबु ज़फर नदवी

पंजाब में सिख

पन्दरहवीं सदी के आखिर में हिन्दू धर्म के सुधार का विचार बहुत लोगों में पैदा हो गया था। उन में से वह लोग जो अधिक मशहूर हुए बाबा कबीर दास, स्वामी बल्लम आचार्या, महात्मा चैतन्य हैं। उन्हीं में से बाबर के ज़माने में गुरू नानक नामी एक हिन्दू सन्त थे। उन्होंने एकेश्वर वाद (तौहीद) और बराबरी का प्रचार करना शुरू किया। धीरे–धीरे जब उन का प्रभाव फैला तो लोगो को मुरीद (सिख) बनाया 1538 ई0 (945 हि0) में जब उन का देहन्त हुआ तो उन की जगह गुरू अंगद हुए। उस समय सिख एक छोटा समुदाय था। आस्था में सूफियाना इस्लाम और समाजिकता में हिन्दू विचारों को मानने वाले रहे। गुरूमुखी भाषा उन्हीं की ईजाद है। 1552 ई0 (690 हि0) में गुरू अमरदास गद्दी पर बैठे। अमृतसर उन्हीं का बसाया हुआ है जिस के लिए भूमि अकबर बादशाह ने प्रदान की थी। उसके बाद गुरू रामदास जी जो उनके दामाद थे गुरू बनाए गये। 1859 ई0 (989 हि0) में यह भी चल बसे तो उन के लड़के अर्जुनदेव जी गद्दी पर आये। सिखों की धार्मिक पुस्तक ग्रन्थ साहब उन्हीं की मुरत्तब की हुई है। जहाँगीर के ज़माने में पंजाब का सरकारी दीवान चन्दू शाह एक हिन्दू था जिसने अपनी लड़की की शादी गुरू के लड़के हर गोविन्द से करनी चाही परन्तु अर्जुन देव के इन्कार कर देने पर वह उनका जानी दुश्मन हो गया। 1606 ई0 (1015 हि0) में बग़ावत का अपराध लगाकर उनको क़त्ल कर दिया। अब हरगोविन्द गुरू हुए। उन्होंने मुरीदों में फौजी रूह पैदा की और हथियारबन्द रहने का आदेश दिया। 1644 ई0 (1054 हि0) में जब वह संसार से कूच कर गये तो गुरू हर राय, हर किशन और तेग बहादुर गुरू बनाए गए। 1675 ई0 में तेग बहादुर के बाद उन के लड़के गोविन्द सिंह गुरू हुए। उन्हों ने मुरीदों को फक़ीर से फौज़ी ढाँचे में बदल दिया। यह आलमगीर (औरंगजेब रह0) का ज़माना था। वह बीस वर्षो तक हिमालय के दामन में रहकर फौज तैयार करते रहे। फिर पहाड़ी राजाओं को पराजित कर के पंजाब के शहरों और गाँव को लूटना शुरू कर दिया। पंजाब के हाकिम ने उन की रोक थाम की। ग्यारह वर्षो तक इन दोनों की लड़ाई होती रही जब उस लड़ाई में हजारों के अतिरिक्त गुरू गोविन्द सिंह का पूरा खानदान तबाह हो गया तो 1707 ई0 (1119 हि0) में वह पंजाब से दकिन चले आये और गोदावरी नदी के किनारे इस दुन्या से कूच कर गये।

दकिन के मरहठे

दकिन के पश्चिमी भाग पहाड़ों से ढ़के पड़े हैं जिन का कुछ भाग आज मुम्बई में सम्मिलित है। मरहटे इसी जगह रहते हैं। यह डरावड़ी वंशज के असली मुल्की बाशिन्दे हैं परन्तु उन्हों ने भाषा आर्यन इख्तियार कर ली। आम तौर पर इन का पेशा खेती करना था। निजाम शाही सल्तनत में जब मलिक अम्बर सेना पति हुआ तो मुगलों के मुकाबले में बड़ी फौज की आवश्यकता देख कर इन किसानों को फौज में भरना शुरू किया और गुरिल्ला जंग की तालीम देकर उन से काम लेने लगा। इन्हीं में शिवाजी का दादा "मलोजी" भी था जो मलिक अम्बर की फौज में उन्नति पाकर बड़े पद पर पहुँच गया था इसके बाद उस का लड़का "साहू जी" निजाम शाही सलतनत में दाख़िल हो गया और मुगलों से मुकाबले के लिए सल्तनत में नई रूह फूंकने की कोशिश की।

शाह जहाँ के ज़माने में साहू जी मुगलों से मिल गया। बांदशाह ने उसको पंच हजारी के पद के साथ मलिक अम्बर की जागीर का एक भाग भी उसे प्रदान किया परन्तु जब मलिक अम्बर का लड़का फ़तह खाँ भी मुगलों के साथ हो गया तो उसकी जागीर उसको वापस कर दी गयी। यह बात साहू जी को

बहुत बुरी लगी इस लिए वह मुगलों के ख़िलाफ बगावत कर बैठा जिस को शाही फौज ने तुरन्त दबा दिया और साहू जी को माफी दी गयी। साहू जी आदिल शाही फौज में भरती हो गया और पूना उसको जागीर में मिला।

साहू का लड़का शिवाजी था। उस ने अपना एक जत्था बनाकर छोटे–छोटे किलों और गाँवों पर छापे मारने लगा। इस प्रकार कुछ दिनों में बड़ा शक्तिशाली हो गया। बीजापुर की सल्तनत में उस समय बड़ी अव्यवस्था थी जिस के कारण बीजापुर के बादशाह ने इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया। आखिर सेनापति अफ़जल खाँ को 1657 ई0 (1068 हि0) में उस को दण्डित करने के लिए रवाना किया। शिवाजी ने एक भेंट मे धोखे से उसे क़त्ल कर दिया इसके बाद साहू जी के द्वारा शिवाजी बीजापुर से सुलह कर के मुगलों के प्राँतों में लूट मचाई। औरंगजेब ने शाइस्ता खाँ को उस को दण्डित करने के लिए नियुक्त किया। 1662 ई0 (1063 हि0) में शाइस्ता खाँ उस को हर जगह पराजित करता हुआ पूना पर काबिज हो गया। अब शिवाजी ने दूसरी चाल चली अर्थात रात को चोरों की तरह खिड़की खोल कर मकान में घुस आया और शाइस्ता खाँ की हत्या करनी चाही मगर दोनों एक दूसरे के के हाथ से साफ बच गये।

1663 ई0 (1074 हि0) में जयसिंह और दिलेर खाँ उस के दमन के लिए नियम पूर्वक भेजे गये क्यों कि अब शिवाजी ने अपने को राजा समझकर अपने नाम का सिक्का जारी कर दिया और फिर सूरत के हाजियों को लूट लिया। राणा जयसिंह ने 1664 ई0 (1074 ई0) में पूना फतह कर लिया और दिलेर खाँ ने नाका बन्दी और घेराव करके एक–एक किला उससे छीन लिया और आखिर एक किले में यह खुद भी घिर गया और अपने बचाव का कोई रास्ता उसको न मिला तो मजबूर होकर अकेले बिना हथियार लगाये जयसिंह के पास आ गया और माफी चाहने लगा। जयसिंह ने सम्मान के साथ उसे दिल्ली भेज दिया जहाँ बादशाह ने उस पंच हजारी पदधिकारियों में शामिल कर लिया। परन्तु शिवाजी वहाँ से भाग कर दकिन आ गया और नियमित लूटमार शुरू कर दी। 1616 ई0 (1077 हि0) में वह अपने सभी किलों का मालिक हो गया और शाहजादा मुअज्जम के द्वारा मुगलों से सुलह कर के अपनी ताकत बढ़ाने में लग गया। अख़िरी उम्र में जब वह काफी शक्तिशाली हो गया तो फिर मुगलों के मुल्क में छापे मारने शुरू कर दिये। मुगल भी मामूली तौर पर रोक थाम कर के समय काटते रहे जिस में कभी सफलता कभी असफलता मिलती रही। यहाँ तक कि 1679 ई0 (1090 हि0) में शिवाजी का देहान्त हो गया और उसका लड़का संभाजी तख्त पर बैठा। उस ने भी शाही इलाकों की लूटमार शुरू कर दी। शाही फौज रोकथाम करती मगर दकिन की इस्लामी सल्तनत मुग़लों की दुश्मनी में पीठ पीछे उन की सहायता करती थीं इस लिए उचित मालूम हुआ कि पहले इन रियासतों को दबाया जाय।

चुनांचि आलमगीर खुद दकिन आया और घेराबन्दी कर के 1685 ई0 (1096 हि0) में बीजापुर फतह कर लिया फिर गोलकुण्डा की बारी आई। आठ महीने की घेरा बन्दी के बाद 1686 ई0 (1098 हि0) में यह मुल्क भी शाही कब्जें में आ गया। इधर इत्मिनान करे के बादशाह ने मरहठों की तरफ़ ध्यान दिया। मुकर्रब खाँ नामक एक बहादुर अधिकारी को संभाजी को चेतावनी देने के लिए मुकर्रर किया।

यह अफसर आक्रमण करता हुआ पहाड़ों और घाटियों को तै करके एक मन्दिर से संभाजी को बन्दी बना लिया जो भेस बदल कर भागने की तैयारी कर रहा था। आलमगीर इसको केवल कैद कर देना चाहता था परन्तु उस ने ऐसी हरकतें करनी शुरू की कि मजबूरन कत्ल करना पड़ा और उस के लड़के "साहू" को बादशाह ने दरबारी अमीरों में शामिल कर लिया और ऐसी दयालुता से उसका पालन पोषण किया कि साहू आजीवन बादशाह का शुक्रगुजार रहा।

शिवाजी का असली राज्य तो छिन्न–भिन्न हो गया मगर साहू का भाई राम राजा अभी तक राजा कहलाता था। और कुछ शक्तिशाली सरदार उसके नाम से लूटमार करते थे। इसलिए 1697 ई0 (1109 हि0)

में जुल्फेक़ार खाँ ने किला जंजी को जहाँ राम राजा था फतह कर लिया। राम राजा भागकर बरार चला गया *और वहीं* उसका देहान्त हो गया। 1698 ई0 (1110 हि0) में आलमगीर ने बसन्तगढ़ पर कब्जा कर लिया। फिर सितारा खलियान, परनाला, टूरना आदि किले एक– एक कर के सब ले लिये। 1704 ई0 (1116 हि0) मे तमाम मरहठे अधीन हो गये और चन्द वर्ग मील भी ज़मीन ऐसी न थी जहाँ मरहठों का स्वतंत्र राज्य हो बल्कि पूरा दकिन और मरहठा देश बिना किसी के सहयोग के आलमगीर के राज्य में शामिल थे और किसी मरहठा सरदार का साहस न हुआ कि फिर सिर उठा सके। उस के दो वर्ष बाद 1706 ई0 (1118 हि0) में आलमगीर भी इस संसार से चल बसा।

भारत में ऐतिहासिक युग से लेकर उस समय तक कोई ऐसा बड़ा बादशाह नहीं हुआ जैसा कि औरंगजेब आलमगीर था। उसने 50 वर्ष से अधिक हुकूमत की। उस की 90 वर्ष की लम्बी जिन्दगी ही इस बात का प्रमाण है कि उसने सारी उम्र संतुलन से गुज़ारी। बलख से लेकर राम कुमारी तक और कराची से आसाम (चीन की सीमा) तक उस का राज्य फैला हुआ था। वह बड़ा दूरदर्शी और दृढ़ स्वभाव का था। ज्ञान से खुद भी सुसज्जित था और दूसरों की भी कद्र करता था। चुनांचि बड़े–बड़े ज्ञानियों ने मिलकर फतवा–ए–आलमगीरी उसी ज़माने में लिखी। फारसी भाषा का खुद बड़ा ज्ञानी था और साहित्यकार था। रूक्क़आते आलमगीरी (आलमगीर के पत्र) पढ़ने से उस की योग्यता का अन्दाजा होता है। आलमगीर ने अपने ज़माने में हिन्दूओं को बड़े–बड़े पद दिये और मन्दिरों को बड़ी–बड़ी जागीरें भी दान दीं।

❑❑

चलो आई0 ए0 एस0 बने

राष्ट्रीय समाचार पत्र, न्यूज मैगजीन का अध्ययन धैर्य के साथ करें। टेलीविजन की परिचर्चा में भाग लें या देखें सुनें।

कोचिंग : दिल्ली में कोचिंग के बहुत से सेन्टर हैं जहाँ सालाना एक लाख रूपये तक का खर्चः आ सकता है लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों का शैक्षिक व्यय उठाने के लिये बहुत सी संस्थायें मौजूद हैं। हमदर्द ने बाकायदा हास्टल कायम कर रखा है जहाँ कोचिंग, के साथ लाइब्रेरी भी है। कोचिंग के लिये दिल्ली मुम्बई, पूणे जैसे शहरों में साल दो साल ठहरना और एकाग्रता के साथ स्टडी करना बहुत जरूरी है। खर्चः की चिन्ता न करें नहीं नाकामी से घबराएं। अक्सर आई0ए0एस0 तीन मर्तबा में यह इम्तेहान पास कर रहे हैं। आप के पास चार अवसर हैं। पेशगी तैयारी, जेहनी तौर पर तैयारी और हाईस्कूल कालेज की शिक्षा के दौरान ज्यादा तनमयता (जंजीदगी) और निष्ठा (दयानतदारी) के साथ आप तैयारी करें। इंशा अल्लाह कामयाबी आप के कदम चूमेगी। (राष्ट्रीय सहारा उर्दू दिल्ली 9 मार्च 2010 से साभार)

❑❑

सैलानी की डायरी

और जहाँ आने वाले विजिटर्स भी। बागबानी एक बहुत अच्छी हाबी है। खुशियाँ हासिल करने का एक बेहतरीन जरियः है। फूल–पौधे हसंते हैं, मुस्कुराते हैं, हयादार हैं, शर्मीले हैं, संवेदनशील हैं, काँटों में गुजारा कर के भी मुस्कुराते हैं, लतर और लताओं को जितना काटिये वह उतना ही अधिक बढ़ती हैं, पौधे अन्धेरे से उजाले की तरफ़ जाना खूब जानते हैं, काँटों से दामन बचा कर निकल जाना और महकना– महकाना कोई इन से सीखे। यह रूठते भी हैं, रूठों को मनाना सीखना हो तो बागबान बन कर देखो। त्याग और तपस्या का पाठ इन से पढ़ो। जीवन की व्यथाओं को हंसते हुए झेल जाना कोई इन से सीखे। बाग़बानी आप के मानसिक तनाव को खत्म करती है, श्रमशीलता सिखाती है, सलीकामन्द बनाती है, आप को चुस्त दुरूस्त रखती है, सर्जनहार बनाती है, रचना की अनुभूति (एहसास) दिलाती है, खुदा की नेअमतों (वरदानों) को याद करने का मौका देती है। जिन्दगी की हक़ीकत बताती है।

मुग़ल गार्डन देखकर निकले तो कोई कानों में कह रहा था :

बदल जाये अगर माली,
चमन होता नहीं खाली।
बहारें फिर भी आती हैं,
बहारें फिर भी आयेंगी।

❑❑

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड-पृष्ठभूमि

क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासिमी (रह0)

- एम० हसन अंसारी

व्यवस्थित कानून

कोई भी सोसाइटी और कोई भी समाज कानून के बिना व्यवस्थित नहीं रह सकता। कानून लोगों के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित करता है। सड़क पर प्रत्येक व्यक्ति को चलने की इजाज़त है। लेकिन अगर ट्रेफ़िक का कोई कानून निर्धारित न हो, हर व्यक्ति को हर तरफ़ से चलने की इजाज़त हो और सिग्नल की व्यवस्था न हो तो निश्चय ही प्रतिदिन सैकड़ों दुर्घटनाएं होंगी और न जाने कितनी जाने इस अव्यवस्था की भेंट चढ़ जायेंगी। इस की रोक-थाम के लिये कानून एक रक्षक का रोल अदा करता है, और जीवन-व्यवस्था और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

कानून कौन बनायेगा?

सवाल यह है कि इन्सान के लिये कानून बनाना किस का हक़ है? इस सिलसिले में यह बात ज़ाहिर है कि दुनिया में कोई व्यक्ति किसी मशीन को बनाता है, या किसी नई चीज़ को अस्तित्व में लाता है तो वही उस के इस्तेमाल का तरीका भी बताता है, और उसी के निर्देशों के अनुसार उस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्सान ज़ाहिर है, स्वयं अपना रचियता नहीं। इन्सान ने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया बल्कि वह पैदा किया गया है। और यह पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। "क्या तुम इस को पैदा करते हो या हम पैदा करने वाले हैं।" (सूरः अल वाक़्यः 59)

इस लिये जाहिर है कि इन्सान पर अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। उसी का बनाया हुआ कानून इन्सान के लिये उपयुक्त और मुनासिब हो सकता है। इस लिये अल्लाह ने अपनी किताब में बार-बार इस की सराहत (विवेचना) फरमाई है कि हलाल व हराम के फैसले करना अल्लाह ही का हक़ है। "हुक्म सिर्फ अल्लाह का" (सूरः अल-अनआम 57), क्यों कि जो खालिक हो वही हुक्म चलाने वाला भी होगा। ::सुन लो उसी को पैदा करने और हुक्म देने का हक़ है। (अल-आराफ़ 54)

फिर यह भी देखिये कि कानून बनाने वाले व्यक्तित्व के लिये जरूरी है कि उस में दो बातें पाई जायें, इल्म और इन्साफ। इल्म इस लिये जरूरी है कि जो इन्सान की ज़रूरतों उसके फायदे, उसकी भावनाओं, और उस को पेश आने वाले हालात से आगाह न हो, वह उस की जिन्दगी के बारे में कैसे मार्गदर्शन कर सकता है? और इन्साफ इस लिये जरूरी है कि कानून का मकसद जुल्म को रोकना और इन्साफ के तकाजे को पूरा करना है कि जो खुद मुंसिफ हो और इन्साफ करने वाला न हो और इन्साफ करने की क्षमता और उस का मिजाज़ न रखता हो, उस से इस बात की उम्मीद क्यों कर रखी जा सकती है कि वह सभी मानव समुदाय के बारे में इन्साफ से काम लेगा? गौर किया जाये तो इन्सानों का कोई तब्कः, एक व्यक्ति अथवा समुदाय कानून बनाने की सलाहियत नहीं रखता, इस लिये कि इन्सान अपने जैसे दूसरे इन्सानों की ज़रूरतों से वाकिफ़ नहीं, बल्कि वह स्वयं अपने फ़ायदे से, अपने हितों से भी आगाह नहीं। इस लिये हम देखते हैं कि इन्सान किसी काम को लाभदायक समझ कर शुरू करता है लेकिन वह अन्त में उस के लिये हानिकारक सिद्ध होता है। लाभदायक समझकर एक नियम बनाता है किन्तु कुछ ही दिनों के अनुभवों के बाद ठोकर खाता है और उसे अपनी ग़ल्ती का एहसास होता है।

अल्लाह का कानून ही मानवता के लिये दया व रहमत का कारण है

अल्लाह ही वह ज़ात है जो कायनात का खालिक है। इन्सान मर्द हो या औरत, बाप-बेटे हो या भाई-बहनें, गोरे हों या काले, कोई

सा भी खानदान हो या कबीला, बल्कि इन्सान हो या जानवर, पशु–पक्षी हों अथवा कीड़े मकोड़े सब का पैदा करने वाला वही है। वह जानता है कि किस चीज़ को उसने किस लिये पैदा किया है, और किस के अन्दर किस बोझ को उठाने की सलाहियत है। मतलब यह कि हर चीज़ की बनावट, उस के बनाने का मकसद और भीतरी क्षमता को पूरी तरह जानने वाला वही खालिक है, वह किसी चीज़ का मुहताज व ज़रूरतमंद नहीं, इस लिये मख़लूक से ख़ालिक का कहीं टकराव नहीं हो सकता, इसी लिये वह पूरी इन्सानियत के साथ इन्साफ का बर्ताव कर सकता है, तो चूंकि अल्लाह अ़लीम (जानने वाला) हैं, ख़बीर (ख़बर रखने वाला) है, सुनने वाला है, देखने वाला है और इल्म व अदल उस की ज़ाती सिफत हैं जो कभी उस से जुदा नहीं हो सकती। इस लिये कानून बनाने का अख्तियार भी उन्हीं को है और उन्हीं की बनाई हुई व्यवस्था में बेहतरी और खैर है। "बेशक दीन जो है अल्लाह के यहाँ, सो यही इस्लाम है।" (सूरः आले इमरान 19)। अर्थात् अल्लाह के नज़दीक इन्सानों के लिये जो कानून लाभप्रद और जो जाहिर ज़िन्दगी मौतबर (विश्वसनीय) है वह सिर्फ "इस्लाम" है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है?

अल्लाह ने अपनी किताब कुर्आन मजीद और अपने रसूल मुहम्मद (सल्ल0) के जरियः जो कानून हमें प्रदान किया है उस के विभिन्न विभाग हैं, उन में से एक विभाग उस कानून का है जो इन्सानी समाज से सम्बन्धित है, जिस पर पारिवारिक व्यवस्था की बुनियाद है जो सामाजिक सम्बन्धों के नियम बताता है, जिस में खानदान के अनेक व्यक्तियों के अधिकार और उन की ज़िम्मेदारी को निर्धारित किया गया है, इन्हीं कानूनों को आज उर्दू में "आयली कवानीन" और अंग्रेज़ी में पर्सनल लॉ या फैमिलीलॉ कहते हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ अंग्रेजी काल में

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में सदियों मुसलमानों की हुकूमत रही, गो आमतौर पर हुक्मरानों को इस्लाम से वह तअल्लुक नहीं था जो होना चाहिये था और जो एक मुसलमान से उस के दीन का मुतालबा है। लेकिन इस के बावजूद जीवन के अनेक क्षेत्रों में इस्लामी कानून नाफिज़ था। जब मुल्क अंग्रेजों की सत्ता में आया तो धीरे– धीरे इस्लामी क़ानून के विभिन्न विभागों को ख़त्म कर दिया, सब से पहले 1922 में हुकूमते बरतानिया ने फौजदारी क़ानून को ख़त्म कर दिया, फिर कानूने शहादत और समझौता के कानून मंसूख़ (रद्द) किये गये। अन्ततः नौबत "समाजी कानून" जिन में निकाह, तलाक़, ख़ुलआ व मीरास आदि दाखिल हैं, के बारे में गौर करने की बारी आई कि क्या इन कानूनों में भी तब्दीली की जा सकती है? इस मकसद के लिये अंग्रेज़ी हुकूमत ने "रायल कमीशन" मुकर्रर किया और कदाचित चार बार कमीशन बैठा, लेकिन वह हर बार इसी नतीजा पर पहुँचा कि इन कानूनों का मजहब से गहरा तअल्लुक है, इस लिये इन कानूनों में कोई तब्दीली सीधे मजहबी मामलों में हस्तक्षेप और मजहबी आजादी को चोट पहुँचाने का प्रयास है अतएव अंग्रेज ऐसा कोई कदम उठाने से बाज रहे और उन्होंने तय किया कि इन मामलों में मुसलमान "कानूने शरीअत" पर और हिन्दू "धर्म शास्त्र" पर अमल करेंगे।

शरीअत एप्लीकेशन ऐक्ट

लेकिन एक घटना यह घटी कि अदालत में एक मुसलमान लड़की ने अपने वालिद के तर्के में मीरास के लिये मुक़दमा दायर किया। ज़ाहिर है कि इस्लामी शरीअत के अनुसार बेटी लाज़िमी तौर पर अपने बाप के मतरूका में वारिस होती है। भाई ने इस मुक़दमें में जवाब दिया कि चूंकि मैं नस्ली तौर पर फलाँ हिन्दु कौम से तअल्लुक रखता हूँ, और हिन्दुओं के यहाँ लड़कियों को बाप के तर्के में हिस्सा नहीं मिलता। यही रिवाज हमारे खानदान में चला आ रहा है इस लिये मुझ पर कानूने शरीअत का निफ़ाज (लागू होना) नहीं होना चाहिये। ब्रिटेन के कानून में रिवाज (परम्परा) का बड़ा महत्व है क्यों कि योरोप के अक्सर मुल्कों के कानून रोमन लॉ से लिये गये हैं और रोमन लॉ में रिवाज को बड़ा महत्व प्राप्त है और इसे कानून का

अतिमहत्वपूर्ण स्त्रोत स्वीकार किया गया है। अतः अदालत ने रिवाज को असल मानते हुए भाई के हक़ में फैसला दिया और लड़की को अपने बाप के तर्के से वंचित रखा जो सरासर क़ुर्आनी तरीके के खिलाफ़ था।

ज़ाहिर है कि इस्लामी दृष्टिकोण से यह औरतों के साथ अत्यन्त जुल्म की बात है कि महज़ औरत होने की बिना पर उसे मीरास से वंचित कर दिया जाए। यह वह समय था कि तमाम उल्मा चीख़ पड़े और पूरे हिन्दुस्तान में आवाज़ उठाई गई। हमारे बड़ों ने बड़े संघर्ष के बाद शरीअत एप्लीकेशन ऐक्ट पास करा दिया और मौलाना अबुल मुहासिन सज्जाद रह0, मौलाना अशरफ अली थानवी रह0, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रह0, मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, रह0 और अन्य बुजुर्गों के मुसलसल और एकजुट प्रयासों से 1937 ई0 में "शरीअत एप्लीकेशन ऐक्ट" बना, इस कानून के अनुसार, "निकाह, तलाक़, खुलाअ, मुबारात,[1] निकाह का टूटना, हक़ परवरिश, विलायत, हक़ मीरास, वसीअत, हिबा और शुफ़आ[2] से सम्बन्धित मामलों में अगर दोनों फरीक मुसलमान हों तो शरीअते मुहम्मदी (सल्ल0) के मुताबिक उन का फैसला होगा, चाहे उन का उर्फ़ और रिवाज कुछ भी हो और कानूने शरीअत को उर्फ़ व रिवाज पर बाला दस्ती हासिल होगी।

1. पत्नी और पति की आपस में बेज़ारी।
2. ज़मीन या मकान की हमसायगी।

मुस्लिम पर्सनल लॉ भारतीय संविधान में

यह शरीअत एप्लीकेशन ऐक्ट एक महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम का हामिल कानून था जो हिन्दुस्तान में मुसलमानों को पर्सनल लॉ का संरक्षण फराहम करता था। मुल्क के आज़ाद होने के बाद बुनियादी हुकूक़ (फंडामेन्टल राइटस) में "अक़ीदा व ज़मीर की आज़ादी" (लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ़ एण्ड थाट) हर मज़हब वालों के लिये अपने मज़हब पर अमल की आज़ादी की दफ़आत (धारायें) रखी गयीं। यह दफ़आत मुस्लिम पर्सनल लॉ के संरक्षण (प्रोटेक्शन) की ज़मानत देती हैं, क्यों कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से सम्बन्धित कानून किताब व सुन्नत पर आधारित हैं, अगर इन में हस्तक्षेप किया गया तो यह मज़हब पर अमल करने में रूकावट डालने के पर्याय होगा, और यह कि बहैसियत मुसलमान जो अहकाम कुरआन व हदीस में मौजूद हैं, हमारे लिये जरूरी है कि हम इन पर यक़ीन रखें। और इस के विरोधी क़ानून को कुबूल न करें। अल्लाह ने निकाह व तलाक़ के जो क़वानीन मुकर्रर फरमाये हैं, अगर हम अपनी ज़िन्दगी के लिये इन के मुकाबलें में किसी और कानून को बेहतर और काबिले अमल समझते हैं, तो यह भी कुफ़्र है, गोया मुसलमानों को इन कवानीन में तब्दीली कुबूल करने पर मजबूर करना उन को अक़ीदा और ज़मीर की आज़ादी से भी महरूम करना है, हालांकि भारतीय संविधान मे बुनियादी हुकूक़ के तहत मज़हबी आज़ादी के संरक्षण की ज़मानत दी गई है जिस का लाज़िमी मतलव मुस्लिम पर्सनल लॉ का संरक्षण गारंटी है।

लेकिन बदकिस्मती से संविधान के रहनुमा उसूलों में एक दफ़ा (दफ़ा 44) यूनीफार्म सिविल कोड से सम्बन्धित रख दी गई है। संविधान बनाने वाली एसेम्बली के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने दस्तूर बनने के समय भी इस पर ऐतराज किया था, लेकिन बहर हाल यह शक़ (दराज) दस्तूर में बाकी रही। यह बात ध्यान देने योग्य है कि रहनुमा उसूल में बहुत सी ऐसी मुफीद हिदायतें भी मौजूद हैं जिन के बारे में हुकूमत ने कभी गौर करने की बाबत सोचा भी नहीं, हालांकि सार्वजनिक दृष्टिकोण से इन पर ध्यान देना अतिआवश्यक है और जो लोग अपने आप को रौशनख़्याल (उदारवादी) और दानिश्वर (बुद्धिजीवी) कहते हैं उन को भी इस ओर ध्यान नहीं हुआ।

हुकूमत के बदलते तेवर

लेकिन दस्तूर के निफाज़ के कुछ ही वर्षों बाद से यूनीफार्म सिविल कोड की आवाज़ उठने लगी और ऐसे गुमराह फ़िक्र (राह से भटक गये चिन्तक) लोगों को इस मकसद के लिये इस्तेमाल किया जाने लगा। जिन को न अपनी कौम में कोई विश्वास प्राप्त है और न कानूने शरीअत से वह सही तौर पर आगाह

हैं। अन्ततः 1972 में मुतबन्ना बिल पेश हुआ जिसका मकसद बिना धार्मिक भेद–भाव के मुल्क की तमाम कौमों के लिये मुतबन्ना को अपनी औलाद का दर्जा देना करार पाया और उन को पालक, गोद लेने वाले मर्द व औरत के तर्के में वारिस करार दिया गया। जाहिर है कि यह कानून न सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ है बल्कि बुद्धि के भी ख़िलाफ है क्यों कि वालिदैन (दम्पति) और औलाद का रिश्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ जबान से वुजूद में आ जाता हो। यह एक फितरी रिश्ता है और एक स्वाभाविक प्रेम जो वालिदैन और औलाद में हुआ करता है इस बनावटी (कृत्रिम) रिश्ते की वजह से पैदा नहीं हो सकता।

अतएवं पूरे हिन्दुस्तान में मुसलमानों के प्रत्येक विचाराधारा के लोगों ने इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज उठाई। इन हालात के नतीजे में मौलाना कारी मुहम्मद तैय्यब साहब रह0 ने दारूलउलूम देवबन्द में एक इजलास बुलाया। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब रह0 ने बड़े खतरे और इस की नज़ाकतों को महसूस किया और उस समय के अकाबिर उल्मा, बुद्धिजीवियों और कानून दाँ भी इकट्ठा हुए। उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले किये, इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण फैसला मुम्बई में आल इण्डिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वेंशन के आयोजन का था जिसे वहाँ के उल्मा, बद्धिजीवियों, मुस्लिम समाजी कार्यकर्ताओं और विभिन्न ज़माअतों के ज़िम्मेदारों ने हुस्न व खूबी के साथ 27,28 दिसम्बर 1972 में महाराष्ट्र कालेज में आयोजित किया। इस कन्वेशन के नतीजे में आल इण्डिया पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई

(तामीरे हयात 10 मार्च 2010 से साभार)

❑❑

टीपू सुल्तान की हिन्दुओं..... से वास्तविक्ता जाननी चाही तो सम्पादक श्रीकान्तया ने लिखा कि "मैसूर गजेटियर में इस तरह की कोई घटना दर्ज नहीं हैं।" विश्वम्भर नाथ पाण्डे जी आगे लिखते हें कि इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि "टीपू सुल्तान से सम्बन्धित यह सरासर झूठ गढ़ा गया है क्यों कि टीपू का प्रधान मंत्री और सेनापति दोनों ब्रह्मण थे। टीपू का महल मन्दिरों के दरमियान था और वह प्रतिदिन प्रातः स्वयं मन्दिरों की व्यवस्था का निरीक्षण करता था। इसके साथ सुल्तान ने 156 मन्दिरों को बड़े–बडे अनुदान भी दिये थे।" सबूत के तौर पर डाक्टर पाण्डे को थडरी मठ के स्वामी शंकराचार्य, सच्चिदानन्द भारती परमहंस के नाम लिखे गये सुल्तान के तीस कन्नड़ पत्रों की फोटोकापियों उक्त पत्र के साथ प्राप्त हुई थीं।

(उर्दू मासिक पयामे तालीम, देहली अप्रैल 2010 से साभार)

❑❑

अंतर्राष्ट्री समाचार

इसलिए उसके बारे में तुरंत विश्वव्यापी सूचना तंत्र की सक्रियता और राजनयिक प्रयास तेज हो जाते हैं लेकिन माओवादी हमले बढ़ रहे हैं और उनके हमलावरो की संख्या जेहादियों की संख्या से कही अधिक बताई जा रही है उसके प्राथमिकताएं बदलने की भी जरूरत है। यह बात अब बार–बार कही जा रही है कि जेहाद हारने लगा है। पर जेहाद के अस्त होने के साथ ही माओवाद का उदय भारत को परेशान कर रहा है। माओवाद से लड़ना जरूरी है और इसमें दो राय नहीं कि आरंभिक लड़ाई सामरिक ही होगी। लेकिन उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपाय भी करने होंगे।

लोगों के सब्र का बाँध टूट जाएगा : ईबादी

जेनेवा! नोबल पुरस्कार विजेता शिरीन ईबादी ने कहा है कि यदि ईरान सरकार अपनी दमनकारी नीतियो पर रोक नहीं लगाती है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईबादी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और मानवाधिकार के उच्चायुक्त को लिखा है कि ईरान के नागरिकों की सहनशीलता और धैर्य असीमित नहीं है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया है कि वह ईरान सरकार को अपने बर्ताव में बदलाव लाने के लिए समझाए।

❑❑

किस्त 24

हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण तथा अर्थ

— इदारा

नोट : बिन्दी वाले अक्षरों के उच्चारण स्थान, उर्दू वालों से सीखना आवश्यक है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
ख़ैर ख़्वाहां	शुभेच्छा	दाद व सितद	आदान प्रदान	दाअ़ी	आवाहक
ख़ैर सगाली	शुभेच्छा	दाद गर	न्यायधीश	दाअ़िय:	इच्छा
वफ्द	शिष्ट मंडल	दादगर	न्यायकर्ता	दाअिय:	संकल्प
ख़ैर मकदम	स्वागत	दारुलआख़िरत	परलोक गृह	दाग़	कलंक
ख़ैर व आफीयत	क्षेम कुशल	दारुल उमरा	राजसभा भवन	दाग़	चिन्ह
ख़ीर:	चकित	दारुल अम्न	शान्ति गृह	दाग़ बेल	शिलान्यास
ख़ैरीयत	क्षेम	दारुल हर्ब	युद्ध क्षेत्र	दाफिअ़	निवारक
ख़ेमा	तंबू	दारुत्तजरिबा	प्रयोग शाला	दाम	मुल्य
दाख़िल	प्रविष्ट	दारुल हुकूमत	राजधानी	दामाद	जामाता
दाख़िल ख़ारिज	नाम परिवर्तन	दारुत्तलब	छात्रालय	दामन	आँचल
दाख़िला	प्रवेश	दारुलउलूम	विद्यालय	दाना	ज्ञानी
दाख़िला नामा	प्रवेश पत्र	दारुल अवाम	लोक सभा भवन	दानाई	ज्ञान
दाख़िला कार्ड	प्रवेश पत्र	दारुल शूरा	मंत्रणा भवन	दानिस्त	ज्ञान
दाद	दान	दारोगा	निरीक्षक	दानिस्ता	ज्ञानत:
दाद	न्याय	दार व मदार	निर्भर	दानिश	ज्ञान
दाद ख़्वाह	न्याय याचक	दारैन	लोक परलोक	दानिश मन्द	बुद्धिमान
दाद ख़्वाही	न्याय याचना	दास्तान	कहानी		
दाद रसी	न्यायदान	दाशता	रख़ैल		

पाठक जिस उर्दू शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे अर्थ सहित छापा जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

— डॉ0 मुइद अशरफ नदवी

अब बोर्ड में होंगे 251 सदस्य

लखनऊ! आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत कार्यकारिणी में 51 सदस्य होंगे। इनमें अध्यक्ष के अलावा 40 निर्वाचित सदस्य होंगे और 10 सदस्य अध्यक्ष की ओर से नामित किए जाएंगे। इस तरह बोर्ड के पूरे साँगठनिक ढाँचे में कुल 251 सदस्य होंगे, जिनमें 102 संस्थापक सदस्य और 149 सामान्य सदस्य होंगे। बोर्ड की कार्यकारिणी के 40 संस्थापक सदस्यों में 35 पुरुष और पाँच महिला सदस्य होंगी। बोर्ड के 102 संस्थापक सदस्यों में आठ रिक्तियाँ भी भरी गई हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज जस्टिस शाह मोहम्मद कादरी और राज्यसभा के उपसभापति के रहमान खाँ को शामिल किया गया है। बोर्ड की कार्यकारिणी में जिन नए पुरूष सदस्यों को शामिल किया गया है, उनमें कमाल फारुकी, डॉ0 कासिम रसूल इलियास, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना अतहर अली शामिल हैं। बोर्ड ने उन राज्यों को भी इस बार तवज्जो दी है, जहाँ से बोर्ड का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं था। इनमें लद्दाख, मेघालय, त्रिपुरा, असोम शामिल हैं।

आतंक या माओवाद

जेहाद के मुकाबले माओवादी आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार को अपनी प्राथमिकता अब बदलनी होगी।

भारत में जिस तरह जेहादी और माओवादी हमले हो रहे हैं उससे यह दुविधा सहज रूप से पैदा होती है कि दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है। मुंबई हमले के करीब प्रंद्रह महीने बाद पुणे की जर्मन बेकरी में आतंकी हमले की घटना हुई है। घटना निश्चित तौर पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की विफलता है लेकिन इतने लंबे समय तक हमले को रोक कर रखना सुरक्षा संबंधी कामयाबी भी तो रही है। इस बीच धड़ाधड़ नक्सली हमले हुए हैं और उनमें मारे जाने वालों की संख्या जेहादी आतंकवादी हमले के तीन गुने से भी ज्यादा है। घटनाओं की यह आवृत्ति ही नहीं आँकड़े भी माओवादी खतरे की गंभीरता को प्रकट करते हैं। जनवरी 2007 से अब तक जेहादियों के हमले में 436 लोग मारे गए जबकि माओवादी ने 1524 लोग मारे गये। मारे जाने वालों की संख्या के अलावा माओवादी हमले का तरीका भी कई बार जेहादियों के मुकाबले ज्यादा क्रूर रहा है। हाल की दोनों घटनाओं में माओवादियों ने अपने निशाने पर लिए लोगों को न सिर्फ गोलियों से बल्कि उन्हें चारों तरफ से आग लगाकर भी भूना। मारे जाने वालों में निहत्थे ग्रामीण आदिवासी रहे हैं या फिर हथियार रखकर खाना बनाते सुरक्षा बलों के जवान। इसके अलावा माओवादियों ने लोगों का गला रेत कर या फिर छह इंच छोटा करने की भी नजीर कायम की है। इसका मतलब यह नहीं कि जेहादियों ने जिस तरह बेगुनाहों की हत्या की है, वे तरीके कहीं से कम खतरनाक और चिंताजनक है।। पर मसला यह है कि माओवादियों के बड़े खतरे को क्यों जेहादियों से कम कर आँका जाता है? इसकी दो वजहें साफ हैं। एक वजह तो यह है कि जेहादी आतंकवाद आमतौर पर शहरी परिघटना है, जबकि माओवादी आतंकवाद ग्रामीण।

जेहादी हमला होने के तुरंत बाद इसे पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे आतंकी समूहों से जोड़कर अतंराष्ट्रीय मामला बना दिया जाता है। जैसा कि मुंबई हमले में हुआ या कहीं और भी होता है तो उसे तत्काल एक देश के दूसरे देश पर हमले के रूप में देखा जाने लगता है और देश टूटने की आशंका जताई जाने लगती है। अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों का जोर जेहादी आतंकवाद को खत्म करने पर है,

शेष पृष्ठ 38